विषय सूची

क्रम सं	पैरा सं. (2015-16 के बजट भाषण में)	विषय	पृष्ठ सं.
1	13	मौद्रिक नीति समिति हेतु भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन	1
2	24	एफआरबीएम अधिनियम के संबंध में वित्त विधेयक में संशोधन	1
3	27	सब्सिडी की सुपुर्दगी के लिए सुलक्षित व्यवस्था	1-3
4	29	मृदा की स्थिति में सुधार	3
5	30	कृषि ऋण	4
6	31	फॉर्म ऋण	4
7	32	मनरेगा के अंतर्गत गरीबों को रोजगार	4
8	33	एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार	4-5
9	34	सूक्ष्म यूनिट विकास पुनर्वित्त एजेंसी(मुद्रा) बैंक	5-6
10	35	ट्रेड्स के जरिए एमएसएमई क्षेत्र में नकदी की स्थिति में सुधार	7
11	36	दिवालियापन संहिता	7
12	37	वित्तीय प्रणाली के रूप में डाक नेटवर्क का उपयोग	7
13	38	वित्तीय संस्था के रूप में एनबीएफसी	7
14	39	सार्वजनीन सामाजिक सुरक्षा प्रणाली	8
15	40	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना	8
16	41	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	8
17	42	वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि	8-9
18	43	वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक उपकरण और सहायता संस्थाएं	9
19	45	अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं के लिए नई मंजिल	9-10
20	46	अवसंरचना क्षेत्र में निवेश	10-11
21	47	राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि(एनआईआईएफ)	11-12
22	48	अटल नवोन्मेष मिशन(एआईएम)	12
23	49	विकास की अधिक उदार व्यवस्था	12-13
24	50	स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग(सेतु)	13
25	51	पत्तनों का कंपनीकरण	13
26	52	भारत में कारोबार करने में आसानी	13-14
27	53	भारत में कारोबार करने में आसानी से संबंधित विधान तैयार करने की विशेषज्ञ समिति	14
28	54	अवसंरचना परियोजनाओं में प्लग एंड प्ले मोड	14-16
29	55	विभिन्न योजनाओं को किए गए आवंटन में वृद्धि	16
30	56	लोक ऋण प्रबंधन एजेंसी(पीडीएमए)	16
31	57	वायदा बाजार आयोग का सेबी के साथ विलयन	16
32	58	फेमा की धारा 6 में संशोधन	17
33	59	वित्तीय निवारण एजेंसी	17
34	61	ईपीएफ और ईएसआई	17

क्रम सं	पैरा सं. (2015-16 के बजट भाषण में)	विषय	पृष्ठ सं.
35	62	ईपीएफ और ईएसआई अधिनियमों में संशोधन	17-18
36	63	स्वर्ण का मुद्रीकरण	18
37	64	क्रेडिट या डेबिट कार्ड संबंधी लेन-देनों को प्रोत्साहन	19
38	65	वैकल्पिक निवेश निधियां	19
39	66	प्रक्रियाओं का सरलीकरण	19
40	67	एसपीवी के जरिए सीएमएलवी देशों में विनिर्माण केन्द्र	19-20
41	68	निर्भया निधि को ₹1000 करोड़ का आवंटन	20
42	69	धरोहर स्थलों का पुनरूद्धार	20-22
43	70	वीजा ऑन एराइवल	22
44	71	बिजली के वाहनों का त्वरित विनिर्माण और स्वीकरण(फेम)	22-23
45	72	अधिप्रापण कानून	23
46	73	सरकारी संविदा(विवाद समाधान) विधेयक	23
47	74	विनियामक सुधार कानून	23
48	75	स्किल इंडिया	23-24
49	76	राष्ट्रीय कौशल मिशन	24
50	77	दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना	24
51	78	श्री दीनदयाल जी उपाध्याय की 100वीं जयंती	25
52	79	प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम	25
53	80	प्रत्येक राज्य में एक प्रमुख केन्द्रीय संस्थान	25-28
54	81	बैंक बोर्ड ब्यूरो	28
55	82	नेशनल ऑप्टिक्ल फाइबर नेटवर्क प्रोग्राम(एनओएफएनपी)	28-29
56	85	एसबीआईपी और डीएसआईआर	29-31
57	87	जीआईएफटी	31-32
58	88	विभिन्न न्यायालयों में वाणिज्यिक प्रभाग	32
59	96	वस्तु एवं सेवा कर	32-33
60	101	काले धन पर काबू पाने के उपाय	33
61	102	काले धन के संबंध में नया कानून	33-34
62	103	विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999(फेमा) में संशोधन	34
63	104	बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) विधेयक	34
64	105	काले धन पर काबू पाने के लिए आयकर अधिनियम में संशोधन	34-36
65	106	श्रेणी-I और श्रेणी-II की वैकल्पिक निवेश निधियों में कर 'पास-थ्रू'	36
66	107	रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट(आरईआईटी) और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इन्वआईटी) को 'पास-थ्रू'	36
67	108	स्थायी स्थापना (पीई) मानदंडों में संशोधन	37
68	116	एफआईआई के लिए मैट उपबंधों को युक्तिसंगत बनाना	37-38
69	117	कर प्रशासन सुधार आयोग (टीएआरसी) की सिफारिशें	38

बजट भाषण 2015-16
(28 फरवरी, 2015)

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
1.	13	यह सुनिश्चित करने के लिए कि मुद्रास्फीति पर हमारी जीत संस्थानिक हो और इसलिए जारी भी रहे, हमने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मौद्रिक नीति रूपरेखा करार किया है। मैंने, 2014-15 के बजट भाषण में इसका वादा किया था। इस रूपरेखा में मुद्रास्फीति को 6% से नीचे रखने के लक्ष्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख है। मौद्रिक नीति समिति का गठन करने के लिए, हम, इस वर्ष, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव लाएंगे। [नोडल मंत्रालय/विभागःआर्थिक कार्य विभाग]	सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच 20.02.2015 को मौद्रिक नीति रूपरेखा करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मौद्रिक नीति समिति की व्यवस्था करने के लिए आरबीआई अधिनियम, 1934 संशोधित करने हेतु मसौदा विधेयक को विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है। ***कार्य प्रगति पर है।***
2.	24	तदनुसार, मैं, एफआरबीएम अधिनियम के प्रति वित्त विधेयक में संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूँ। [नोडल मंत्रालय/विभागःआर्थिक कार्य विभाग]	वित्त विधेयक 2015 के एक भाग के रूप में, एफआरबीएम अधिनियम संबंधी प्रस्तावित संशोधन संसद द्वारा पारित किया जा चुका है और अधिसूचना जारी कर दी गई है। परिणामस्वरूप, एफआरबीएम (संशोधन नियमावली 2015) भी अनुमोदित कर दी गई है और विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग को पुनरीक्षण हेतु भेजी गई है। एफआरबीएम (संशोधन) नियमावली 2015 को अधिसूचित कर दिया गया है और 01 जुलाई, 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। ***कार्रवाई पूर्ण।***
3.	27	**सुशासन** अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार, भारतीय के रूप में एक न्यायप्रिय तथा अनुकंपा से परिपूर्ण देश के रूप में अपने पूर्व के उत्कर्ष को प्राप्त करने के लिए कृत संकल्प है। विगत में अच्छे इरादों के साथ प्रारंभ की गई स्कीमें प्रायः अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर सकी हैं, हेरा-फेरी के जाल में उलझ गई हैं और इन पर अक्षमता का ठप्पा लग गया है। यही स्थिति सब्सिडियों की भी है। सब्सिडियों की जरूरत गरीबों और वंचितों के लिए होती है। हमें सब्सिडी सुपुर्दगी की सुलक्षित प्रणाली की आवश्यकता है। हमें सब्सिडी क्षतियों को कम करने की आवश्यकता है न कि सब्सिडियों को ही समाप्त करने की। हम, इस दृष्टिकोण पर आधारित सब्सिडियों को युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध हैं। [नोडल मंत्रालय/विभागःपैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, उर्वरक विभाग, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग]	सरकार ने सुशासन के उपाय के तौर पर 'पहल' के जरिए एलपीजी उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने की एक सुलक्षित व्यवस्था शुरू की है। अब तक, लगभग 15 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता अपने बैंक खातों में सीधे ही एलपीजी सब्सिडी प्राप्त कर रहे हैं। 'पहल' विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना होने के नाते गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुकी है। 62 लाख से अधिक एलपीजी उपभोक्ताओं ने स्वैच्छिक आधार पर एलपीजी सब्सिडी को छोड़ दिया है जिसे बीपीएल परिवारों को नए कनेक्शन देने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार ने ऐसे एलपीजी उपभोक्ताओं अथवा उनके जीवन साथी जिनकी कर योग्य आय 10 लाख से अधिक है, को भी एलपीजी सब्सिडी प्राप्त करने से वंचित करके सब्सिडी पर होने वाले खर्च को युक्तिसंगत बनाने के कदम उठाए हैं। सरकार ने डिजिटल प्लेफार्म को इस्तेमाल करते हुए एलपीजी उपभोक्ताओं को बेहतर और स्तरीय सेवाएं देने के उद्देश्य से 2016 को "एलपीजी उपभोक्ता वर्ष" घोषित किया है।

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			यूरिया नीति के तहत, कृषि प्रयोग हेतु स्वदेश निर्मित यूरिया पर किसानों को, घरेलू यूरिया यूनिटों के माध्यम से और आयातित यूरिया पर सीधे सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। सब्सिडीयुक्त यूरिया के गैर-कानूनी विपणन पर रोक लगाने के लिए यूरिया के घरेलू उत्पादकों के लिए अनिवार्य है कि वे अपना समस्त उत्पादन नीम आवरणयुक्त यूरिया (एनसीयू) के रूप में करें। चूंकि एनसीयू का प्रयोग औद्योगिक प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा सकता है, इसलिए गैर-कृषिगत उपयोग के लिए सब्सिडी युक्त यूरिया का गैर-कानूनी विपणन संभव नहीं हो सकेगा। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के तहत सब्सिडी जारी करने का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। खाद्य सब्सिडी खाद्यान्नों की आर्थिक लागत और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए निर्धारित केंद्रीय निर्गम मूल्यों पर उनकी बिक्री से प्राप्त राशि के बीच के व्याप्त अंतर को पूरा करने के लिए प्रदान की जाती है। सरकार ने देश की दो-तिहाई आबादी को सब्सिडी युक्त खाद्यान्न मुहैया कराने के लिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अधिनियमित किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम का सही कार्यान्वयन हो और इसके लाभ लक्षित परिवारों तक पहुंचें, लक्षित सार्वजनिक प्रणाली (टीपीडीएस) का आवश्यक सुदृढ़ीकरण, जिसमें टीपीडीएस का सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकरण किए जाने की चल रही योजना का पूरा किया जाना भी शामिल है, को किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को इस अधिनियम के तहत सब्सिडी युक्त खाद्यान्न का आवंटन करने की पूर्व शर्त बना दिया गया है। इस अधिनियम को समयबद्ध रूप में लागू करने के लिए, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे टीपीडीएस के कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया पूरी करें। खाद्यान्नों की सुपुर्दगी में हेरा-फेरी रोकने के लिए, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह भी अनुरोध किया है कि वे प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वयन के निम्नलिखित दो मॉडलों में किसी एक का चयन करें: (i) आधार और बैंक खाता सीडिंग के साथ लाभानुभोगियों की पूर्णतः डिजीटाइज सूची के आधार पर, उनके बैंक खातों में खाद्य सब्सिडी का प्रत्यक्ष लाभांतरण। (ii) उचित दर दुकानों पर बिक्री स्थल (पीओएस) और लेन-देन की इलैक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग के जरिए, लाभानुभोगियों

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			के बायोमेडिकल सत्यापन के बाद, उचित दर दुकानों के माध्यम से टीपीडीएस के अंतर्गत सब्सिडी युक्त खाद्यान्नों का वितरण। संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ और पुदूचेरी ने सितम्बर, 2015 से डीबीटी योजना के तहत प्रत्यक्ष नकद अंतरण शुरू कर दिया है। उचित दर दुकानों के स्तर पर पीओएस उपकरणों की संस्थापना के लिए, उपकरण की तकनीकी विनिर्दिष्टि को अंतिम रूप दे दिया गया है और उसे राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है। उचित दर दुकानों के डीलरों को ₹17 प्रति क्विंटल के अतिरिक्त मार्जिन के जरिए पीओएस उपकरण के वित्त पोषण का पैटर्न और उसके लिए केंद्रीय सहायता के मापदण्ड को भी अंतिम रूप दे दिया गया है। प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने उचित दर दुकानों में पीओएस उपकरण संस्थापित कर दिए हैं। ***कार्य प्रगति पर है।***
4.	29	**कृषि** हमारे किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता गहरी है। हमने कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण दो बड़े कारकों अर्थात् मृदा और पानी के समाधान के लिए पहले ही प्रमुख उपाय किए हैं। सतत आधार पर मृदा उर्वरता में सुधार लाने के लिए, महत्वाकांक्षी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम शुरू की गई है। मृदा स्वास्थ्य सुधारने के लिए, मैं कृषि मंत्रालय की जैविक कृषि योजना "परंपरागत कृषि विकास योजना" के वित्तपोषण और पूर्ण सहायता का भी प्रस्ताव करता हूं। प्रधांनमंत्री ग्राम सिंचाई योजना "प्रति बूंद अधिक फसल" की व्यवस्था करने के लिए प्रत्येक किसान के खेत में सिंचाई करने और जल प्रयोग दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से बनायी गयी है। मैं, लघु सिंचाई, जलसंभर विकास और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की सहायता हेतु ₹5,300 करोड़ आबंटित कर रहा हूं। मैं राज्यों से आग्रह करता हूं कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में भरपूर सहयोग दें। [नोडल मंत्रालय/विभागःकृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग]	**प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना** यह योजना 1.7.2015 को अनुमोदित की गई। वित्त वर्ष 2015-16 के लिए ₹1800 करोड़ के आवंटन में से ₹1223 करोड़ जारी किए गए जिसमें लघु सिंचाई के लिए ₹723.06 करोड़ शामिल हैं। **लघु सिंचाई** राज्यों को ₹723.06 करोड़ की राशि जारी की गई है। प्राप्तों रिपोर्टों के अनुसार, लगभग 2.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लघु सिंचाई के अंतर्गत है और वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान, 4.35 लाख हेक्टयर के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य चल रहा है। **मृदा स्वास्थ्य कार्ड** योजना 19.2.2015 को शुरू की गई थी। 12.1.2016 तक, 2015-16 के 100 लाख मृदा नमूनों के लक्ष्य के प्रति 69.26 लाख मृदा नमूने एकत्र किए गए। इनमें से 44.70 लाख नमूनों जांच की गई है। वर्ष 2015-16 के संबंध में, 5 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्डों के लक्ष्य की तुलना में, 79.01 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान, 153.18 लाख नमूने एकत्र किए जाने हैं और 2016-17 के दौरान 9 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाने हैं। **परम्परागत कृषि विकास योजना** वित्त वर्ष 2015-16 में ₹300 करोड़ की राशि आवंटित की गई है जिसमें से 12.1.2016 तक ₹197 करोड़ जारी किए गए हैं। ***कार्य प्रगति पर है।***

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
5.	30	छोटे और सीमांत किसानों पर विशेष ध्यान देते हुए, प्रभावी और निर्बाध कृषि ऋण की सहायता से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए, मैं, 2015-16 में नाबार्ड में स्थापित ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष की निधियों में ₹25,000 करोड़, दीर्घावधिक ग्रामीण ऋण कोष में ₹15,000 करोड़, अल्पावधिक सहकारी ग्रामीण ऋण पुनर्वित्त निधि हेतु ₹45,000 करोड़ और अल्पावधिक आरआरबी पुनर्वित्त निधि के लिए ₹15,000 करोड़ आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। [नोडल मंत्रालय/विभागःवित्तीय सेवाएं विभाग]	भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2015-16 के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले उधारों (पीएसएल) के लक्ष्य में हुई कमी के निवारण हेतु निधियां आवंटित की हैं। 2015-16 में आरबीआई द्वारा ऐसी निधियों को किया गया आवंटन निम्नानुसार हैः आरआईडीएफः ₹25,000 करोड़ दीर्घावधिक ग्रामीण ऋण निधि (एलटीआरसीएफ): ₹15,000 करोड़ अल्पावधिक सहकारी ग्रामीण ऋण पुनर्वित्त निधिः ₹45,000 करोड़ अल्पावधिक आरआरबी पुनर्वित्त निधिः ₹15,000 करोड़ ***कार्रवाई पूर्ण।***
6.	31	कृषि ऋण हमारे मेहनतकश किसानों के प्रयासों को सहारा देते हैं। इसलिए, मैंने 2015-16 के दौरान, ₹8.5 लाख करोड़ के ऋण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि बैंक यह लक्ष्य पार कर लेंगे। [नोडल मंत्रालय/विभागःवित्तीय सेवाएं विभाग]	वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों तथा आरआरबी को एजेंसीवार और प्रयोजनवार लक्ष्य आवंटित किए गए हैं तथा इस संबंध में 23.3.2015 को आरबीआई, नाबार्ड, सरकारी क्षेत्र के बैंकों और एसएलबीसी संयोजक बैंकों को सूचित कर दिया गया है। कृषि ऋण के प्रवाह की मॉनीटरिंग तिमाही आधार पर की जाती है। ***कार्रवाई पूर्ण।***
7.	32	हमारी सरकार मनरेगा के जरिए रोजगार पैदा करने में मदद करने के प्रति वचनबद्ध है। हम सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी गरीब रोजगार के बगैर न रह जाए। हम मनरेगा के अंतर्गत कार्यों की गुणवत्ता और प्रभावशीलता में सुधार लाने पर ध्यान देंगे। मैंने इस कार्यक्रम के लिए ₹34,699 करोड़ का आरंभिक आवंटन किया है। [नोडल मंत्रालय/विभागःवित्तीय सेवाएं विभाग]	मनरेगा मांग संचालित मजदूरी रोजगार का कार्यक्रम है जिसके लिए निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इसकी कारगरता में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं। ***कार्रवाई पूर्ण।***
8.	33	हालांकि, किसान अब स्थानीय व्यापारी के शिकंजे में नहीं हैं, फिर भी, उसके उत्पाद को अभी भी सर्वोत्तम राष्ट्रीय कीमत नहीं मिलती है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, यह जरूरी है कि हम राष्ट्रीय कृषि बाजार सृजित करें जिससे मूल्य वृद्धियों को कम करने के अनुषंगी लाभ होंगे। मैं, इस वर्ष एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार के सृजन हेतु नीति आयोग में राज्यों के साथ कार्य करने का इच्छुक हूं। [नोडल मंत्रालय/विभागःकृषि एवं सहकारिता विभाग, नीति आयोग]	**कृषि प्रौद्योगिकी अवसंरचना निधि के जरिए राष्ट्रीय कृषि बाजार (एनएएम)** कृषि प्रौद्योगिकी अवसंरचना निधि के जरिए राष्ट्रीय कृषि बाजार की स्थापना की योजना को सरकार द्वारा 1.7.2015 को अनुमोदित किया गया है। इसका बजट ₹200 करोड़ है और इसे 2015-16 और 2017-18 के दौरान कार्यान्वित किया जाना है। इस योजना में ई-प्लेटफार्म में शामिल होने के इच्छुक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चुनिंदा 585 विनियमित थोक बाजारों में उपयुक्त साझा ई-बाजार प्लेटफार्म स्थापित करके राष्ट्रीय कृषि बाजार बनाने की परिकल्पना की गई है। लघु कृषक कृषि कारोबार

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			संकाय (एसएफएसी) के साथ स्ट्रेटजिक भागीदार मैसर्स नागार्जुन फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड तथा टेक्नो ब्रेन ग्लोबल एफजेडई राष्ट्रीय ई-प्लेटफार्म को कार्यान्वित करेंगे और इसमें वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान क्रमशः 250, 200 और 135 मंडियां शामिल की जाएंगी। कृषि और सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग सॉफ्टवेयर से संबंधित और राज्यों के लिए इसे तैयार करने का खर्च उठाएगा तथा इसे राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को निःशुल्क मुहैया कराएगा। यह विभाग ई-बाजार प्लेटफार्म के संस्थापन के लिए संबंधित उपस्कर/अवसंरचना हेतु प्रति मंडी ₹30 लाख की अधिकतम सीमा के अध्यधीन, अनुदान के रूप में एक कालिक नियत लागत भी देगा। राज्य एपीएमसी एनएएम के एकीकरण के लिए, राज्यों के एपीएमसी अधिनियमों में कतिपय पूर्वापेक्षाएं हैं, अर्थात (i) एकल लाइसेंस राज्य भर में वैध हो, (ii) बाजार शुल्क की एक ही स्थान पर उगाही हो और (iii) मोड मूल्य अन्वेषण पर इलेक्ट्रोनिक निलामी की व्यवस्था। इन पूर्वापेक्षाओं को पूरा करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र ही इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे। इस योजना के लिए एसएफएसी को ₹5 करोड़ जारी कर दिए गए हैं। एनएएम के साथ मंडियों के एकीकरण हेतु कई राज्यों के प्रस्तावों पर विचार किया गया है। इस बीच, कई अन्य राज्यों ने एनएएम में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है। एनएएम के साथ मंडियों के समेकन तथा मृदा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने से संबंधित विस्तृत डीएफआर की राज्यों से प्राप्ति की प्रतीक्षा की जा रही है। विभाग अन्य राज्य सरकारों के साथ उनके एपीएमसी अधिनियमों में पूर्वापेक्षित सुधार करने की अनुवर्ती कार्रवाई भी कर रहा है जिसके ज़रिए वे एनएएम में शामिल हो सकेंगे। ***कार्य प्रगति पर है।***
9.	**34**	**वित्त साधन से वंचित वर्गों की सहायता** अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि विकास से ही समावेशी विकास होगा। हालांकि बड़े कारपोरेट और कारोबारी कंपनियों की अपनी भूमिका है, इसे अधिकतम रोजगार सृजन में लगे अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा संपूरित करना होगा। लगभग ₹5.77 करोड़ छोटे व्यवसाय वाली यूनिटें हैं जो अधिकतर व्यष्टि स्वामित्व की हैं तथा छोटे विनिर्माण, व्यापार अथवा सेवा व्यवसाय चलाती हैं। इनमें 62% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के स्वामित्व में हैं। ये	सिडबी ने पुनर्वित्तपोषण का कार्य आरंभ करने तथा इस क्षेत्र के विकास हेतु सूक्ष्म एकक विकास पुनः वित्तपोषण एजेंसी (मुद्रा) नामक एक 100% स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनबीएफसी का गठन किया गया है। इसे आरबीआई में एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत किया गया है। मुद्रा और साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) का शुभारंभ विज्ञान भवन, नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल, 2015 को किया गया। आरबीआई ने 'मुद्रा' के पुनर्वित्त पोषण हेतु स्थायी निधि के रूप में ₹20,000 करोड़ आवंटित किए हैं। आरबीआई ने इसके पुनर्वित्तपोषण

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		पिरामिड के सबसे निचले पायदान पर हैं। ये मेहनतकश उद्यमी ऋण की औपचारिक प्रणालियों तक, असंभव तो नहीं, पर मुश्किल से ही पहुंच पाते हैं। मैं, इसलिए, ₹20,000 करोड़ की निधि और ₹3,000 करोड़ की गारंटी निधि से सूक्ष्म यूनिट विकास पुनर्वित्त एजेंसी (मुद्रा) बैंक सृजित करने का प्रस्ताव करता हूं। मुद्रा बैंक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के ज़रिए सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का पुनर्वित्तपोषण करेगा। उधार देने में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के उद्यमों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये उपाय युवा, शिक्षित अथवा कुशल श्रमिकों का भरोसा बढ़ाएंगे जो पहली पीढ़ी के उद्यमी बनने की इच्छा रखने में समर्थ होंगे; विद्यमान छोटे व्यवसायी भी अपने कार्यकलापों का विस्तार करने में समर्थ होंगे। जिस प्रकार हम बिना बैंक वालों को बैंक वाला बना रहे हैं उसी तरह हम निधिवंचित को निधिपोषित कर रहे हैं। [नोडल मंत्रालय/विभागःवित्तीय सेवाएं विभाग, आर्थिक कार्य विभाग]	कार्य को आरंभ करने के लिए मुद्रा को ₹5000 करोड़ की अंतरिम निधि उपलब्ध कराई है। पीएमएमवाई के अंतर्गत वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान ₹1,22,188 करोड़ का समग्र संवितरण लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो सरकारी क्षेत्र के बैंकों (₹70,000 करोड़), आरआरबी (₹22,188 करोड़) और निजी तथा विदेशी बैंकों (₹30,000 करोड़) के लिए है। वित्तीय सेवाएं विभाग के लिए 2015-16 की अनुदान की पहली पूरक मांग के लिए अंतर्गत-पीएमएमवाई के अधीन दिए गए ऋण के लिए गारंटी प्रदान करने के लिए ऋण गारंटी निधि स्थापित करने हेतु ₹50 लाख उपलब्ध कराए गए हैं। अनुवर्ती अंशदानों के जरिए 4 वर्ष में ₹5000 करोड़ की संचित निधि सूचित की जानी है। ये निधियां मुद्रा/एनसीजीटीसी को प्रदान की जानी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म एकक विकास पुनर्वित्त एजेंसी (मुद्रा) ऋणों के लिए ऋण गारंटी निधि की स्थापना हेतु और मुद्रा लिमिटेड को सिडबी की पूर्णतः स्वामित्वाधीन अनुषगी कंपनी के रूप में मुद्रा लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) में परिवर्तित करने के लिए 6.1.2016 को अपनी मंजूरी दे दी है। महानिदेशक, दूरदर्शन और आकाशवाणी से अनुरोध किया गया है कि वे रूपे कार्ड के प्रयोग से जुड़ी बहसों के सभी चैनलों पर प्राथमिकता आधार पर प्रसारण के लिए व्यवस्था करें। 01 जनवरी, 2016 से फ्लैगशिप स्कीमों अर्थात पीएमजेडीवाई, पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेबीवाई, एपीवाई और पीएमएमवाई के संबंध में मीडिया अभियान शुरू कर दिया गया है। पहला चरण 01 जनवरी, 2016 को शुरू हुआ है और राष्ट्रीय स्तर पर 6 भाषाओं में प्रसारित किया जा रहा है। 11 दिसम्बर, 2015 से 24 दिसम्बर, 2015 के दौरान पीएमएमवाई पर 9 एसएलबीसी ने विज्ञापन जारी किए हैं। **15.1.2016 की स्थिति के अनुसार पीएमएमवाई के अंतर्गत उपलब्धियां** • पीएमएमवाई के अंतर्गत कुल संवितरित राशि- ₹84,654 करोड़ • उधारकर्ताओं की कुल संख्या- 2,18,46,539 • जारी किए गए कुल मुद्रा कार्ड- 3,96,022 ***कार्रवाई पूर्ण।***

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
10.	35	किसी भी सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम की कार्यशील पूंजी की बड़ी जरूरत लंबे वसूली चक्रों के कारण पैदा होती है। हम ट्रेड डिस्काउंटिंग सिस्टम (ट्रेड्स) की स्थापना करने की प्रक्रिया में हैं जो बहुविध फाइनेंसरों के जरिए, कारपोरेट और अन्य क्रेताओं से सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों के व्यापार प्राप्यों के वित्तपोषण को सुसाध्य बनाने के लिए इलेक्ट्रनिक प्लेटफार्म होगा। यह इस उद्यम क्षेत्र में नकदी में उल्लेखनीय सुधार लाएगा। [नोडल मंत्रालय/विभागःवित्तीय सेवाएं विभाग]	भारतीय रिजर्व बैंक ने 24.11.2015 को ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (ट्रेड्स) स्थापित करने के लिए तीन आवेदकों को सिद्धान्ततः अनुमोदन दे दिया है। ***कार्रवाई पूर्ण।***
11.	36	दिवालियापन कानून सुधार, जिससे कानूनी निश्चितता और रफ्तार आएगी, को कारोबार करने में आसानी लाने के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया गया है। रूग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम तथा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण ब्यूरो ये लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहे हैं। हम वित्त वर्ष 2015-16 में विस्तृत दिवालियापन संहिता लाएंगे जो वैश्विक मानक के अनुरूप होगा करेगा और आवश्यक न्याय क्षमता की व्यवस्था करेगा। [नोडल मंत्रालय/विभागःआर्थिक कार्य विभाग]	शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता 2015 21.12.2015 को लोक सभा में पेश की गई और संयुक्त संसदीय समिति को सौंप दी गई है। ***कार्रवाई पूर्ण।***
12.	37	सरकार औपचारिक वित्तीय प्रणाली तक लोगों की पहुंच बढ़ाने के प्रति वचनबद्ध है। इस संदर्भ में, सरकार देश भर में फैले सभी गांवों में, लगभग 1,54,000 स्थानों पर मौजूद विशाल डाक नेटवर्क का उपयोग करना चाहती है। मुझे आशा है कि डाक विभाग अपने उद्यम से भुगतान बैंक को सफल बनाएंगे ताकि यह प्रधानमंत्री जनधन योजना में और योगदान कर सके। [नोडल मंत्रालय/विभागःडाक विभाग]	इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना संबंधित प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सरकारी निवेश बोर्ड की बैठक 19.1.2016 को हुई। आरएफपी मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है और परामर्शदाता की चयन प्रक्रिया अंतिम चरण पर है। ***कार्य प्रगति पर है।***
13.	38	समुत्थान से संबंधित मामलों में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ विनियमन में समानता लाने के लिए, यह प्रस्ताव है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत ₹500 करोड़ और उससे अधिक की परिसंपत्ति आधार वाली गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनी को सारफेसी अधिनियम, 2002 के अनुसार, "वित्तीय संस्थान" के तौर पर अधिसूचनाओं हेतु विचार किया जा सकेगा। [नोडल मंत्रालय/विभागःवित्तीय सेवाएं विभाग]	इस आशय की मसौदा अधिसूचना राज्य सभा और लोक सभा के पटल पर रख दी गई थी। ***कार्य प्रगति पर है।***

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
14.	**39**	**जन धन से जन सुरक्षा तक** भारत की जनसंख्या का बड़ा भाग-स्वास्थ्य, दुर्घटना अथवा जीवन-किसी प्रकार के बीमा के बगैर ही है। चिन्ताजनक बात यह है कि जब हमारी युवा पीढ़ी बूढ़ी होगी, तब उसके पास भी कोई पेंशन नहीं होगी। प्रधानमंत्री जन धन योजना की सफलता से प्रोत्साहित होकर, मैं सभी भारतीयों, विशेषकर गरीबों और वंचितों के लिए सार्वजनीन सामाजिक नेटवर्क सृजित करने के कार्य का प्रस्ताव करता हूं। [नोडल मंत्रालय/विभागःवित्तीय सेवाएं विभाग]	तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाएं नामतः अटल पेंशन योजना (एपीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) प्रधानमंत्री द्वारा 9 मई, 2015 को राष्ट्र को औपचारिक रूप से समर्पित की गई। एपीवाई के अंतर्गत 31 दिसम्बर, 2015 तक, इस योजना में 2 करोड़ व्यक्तियों को शामिल करने का लक्ष्य है। सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को प्रति शाखा प्रति माह 30 खाते खोलने का लक्ष्य और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी प्रति शाखा 150 खाते खोलने का लक्ष्य आवंटित किया गया है। 16 जनवरी, 2016 की स्थिति के अनुसार, 18,99,841 व्यक्ति एपीवाई में शामिल हो चुके हैं। ***कार्रवाई पूर्ण।***
15.	40	शीघ्र शुरू की जाने वाली प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मात्र 12 रु. प्रति वर्ष के प्रीमियम पर ₹2 लाख के दुर्घटना मृत्यु जोखिम को कवर करेगी। इसी तरह, हम अटल पेंशन योजना भी शुरू करेंगे। यह अंशदान और इसकी अवधि पर निर्भर रहते हुए एक निश्चित पेंशन उपलब्ध कराएगी। इस योजना में शामिल होने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु, सरकार 31 दिसंबर 2015 से पहले खोले गए नए खातों में पांच वर्ष के लिए, 1000 रुपए प्रति वर्ष तक सीमित, लाभार्थियों के प्रीमियम के 50 प्रतिशत का अंशदान करेगी। [नोडल मंत्रालय/विभागःवित्तीय सेवाएं विभाग]	माननीय प्रधानमंत्री ने 9 मई, 2015 को कोलकाता में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना का शुभारम्भ किया। इसके अलावा, एक विशेष वेबसाइट www.jansuraksha.gov.in की गई है और राज्यवार निःशुल्क नंबर आवंटित किए गए ताकि ग्राहकों के सवालों का जवाब दिया जा सके। सभी राज्यों में एसएलबीसी समन्वयकर्ता अपने-अपने राज्यों में इन योजनाओं के अंतर्गत, नामांकन से जुड़े समस्त कार्यकलाप का समन्वय कर रहे हैं तथा विभाग और मिशन ऑफिस के नोडल अधिकारियों द्वारा रोजमर्रा की मॉनीटरिंग की जा रही है। 16.1.2016 की स्थिति के अनुसार, 9,31,58,610 व्यक्ति पीएमएसबीवाई को अभिदान कर चुके हैं। ***कार्रवाई पूर्ण।***
16.	41	तीसरी सामाजिक सुरक्षा योजना जिसकी मैं घोषणा करना चाहता हूं, वह है - प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यह ₹2 लाख के स्वाभाविक मृत्यु और दुर्घटना-मृत्यु के जोखिम को कवर करेगी। आयु समूह 18-50 के लिए इसका प्रीमियम ₹330 प्रतिवर्ष अथवा प्रतिदिन एक रुपए से कम होगा। [नोडल मंत्रालय/विभागःवित्तीय सेवाएं विभाग]	—वही—
17.	42	पीपीएफ में लगभग ₹3,000 करोड़ और ईपीएफ निधि में लगभग ₹6,000 करोड़ की बिना दावे की जमाराशियां पड़ी हैं। मैंने वित्त विधेयक में वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि के सृजन का प्रस्ताव किया है ताकि इस निधि में इन राशियों का विनियोजन	वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि के लिए मसौदा नियमावली तैयार की गई है। इस बीच वित्त विधेयक 2016 के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम में एक संशोधन का प्रस्ताव किया जा रहा है। ***कार्य प्रगति पर है।***

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		किया जा सके। इसका उपयोग कमजोर वर्गों जैसे वृद्धावस्था पेंशनरों, बीपीएल कार्ड धारकों और छोटे और सीमान्त किसानों तथा अन्य को प्रीमियम पर सब्सिडी उपलब्ध कराने हेतु किया जाएगा। एक ब्यौरेवार स्कीम मार्च में शुरु की जाएगी। [नोडल मंत्रालय/विभागः सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग]	
18.	43	अध्यक्ष महोदया, देश में वरिष्ठ नागरिकों की जनसंख्या पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है, जिनकी संख्या अब लगभग 10.5 करोड़ है और इनमें से एक करोड़ से ज्यादा की आयु 80 वर्ष से अधिक हैं। इनमें 70 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और इनकी बड़ी संख्या बीपीएल श्रेणी वालों की है। इनका काफी बड़ा प्रतिशत बड़ी उम्र से जुड़ी विकलांगताओं से भी पीड़ित है। हमारा ऐसा समाज है जो अपने बुजुर्गों का सम्मान करता है। इसलिए, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए शारीरिक सहायता यंत्र और सहायक जीवन साधन उपलब्ध कराने की नई स्कीम शुरू की जाए। [नोडल मंत्रालय/विभागः सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय]	मसौदा योजना तैयार की गई थी और विशेषज्ञ समिति के सदस्यों को परिचालित की गई थी। प्राप्त अभिमतों के आधार पर संशोधित योजना तैयार की गई है और उसे चुनिंदा जिलों में प्रायोगिक परियोजना आधार पर कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। इस मामले पर राज्य सरकारों के साथ परामर्श किया जा रहा है। ***कार्य प्रगति पर है।***
19.	45	उन अल्पसंख्यक युवाओं को जिनके पास औपचारिक स्कूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र नहीं होता, को ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त करने और बेहतर रोज़गार प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए, इस वर्ष नई मंजिल नामक एक एकीकृत शिक्षा और आजीविका स्कीम आरम्भ की जाएगी। इसके अलावा, पारसियों की सभ्यता और संस्कृति प्रदर्शित करने के लिए सरकार 2015-16 में "दी एवरलास्टिंग फ्लेम" नामक एक प्रदर्शनी के आयोजन में मदद करेगी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए आबंटन दिया जा रहा है। वर्ष 2015-16 के लिए ब.अ. ₹3,738 करोड़ है। [नोडल मंत्रालय/विभागः अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय]	केंद्रीय क्षेत्र की योजना "नई मंजिल" को मंजूरी दे दी गई है- यह योजना अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं के लिए समेकित शिक्षा और आजीविका की योजना है जिसका व्यय 5 साल की अवधि में ₹650 करोड़ रहेगा। इस योजना का आंशिक वित्त पोषण विश्व बैंक द्वारा किया जाएगा। विश्व बैंक के साथ 1 अक्तूबर, 2015 को वार्ताएं आयोजित की गईं थी। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के निदेशक मंडल ने नई मंजिल योजना के लिए 50 मिलियन अमरीकी डालर के समतुल्य आईडीए ऋण को मंजूरी दे दी है। विश्व बैंक और भारत के बीच करार पर 30.12.2015 को हस्ताक्षर किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत तकनीकी विशेषज्ञों से बनी परियोजना प्रबंधन यूनिट (पीएमयू) स्थापित करने की व्यवस्था है। पीएमयू स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			मंत्रालय 19 मार्च से 29 मई, 2016 के दौरान पारसी संस्कृति पर एक बड़ी प्रदर्शनी के आयोजन में सहायता कर रहा है। इस समारोह में तीन अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां शामिल होंगी। (i) "**शाश्वत ज्योतिः जरथुष्टवाद इतिहास और कल्पना में**", राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली में। (ii) ''**निरंतरता के सूत्र**'' इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, दिल्ली में। (iii) '**तस्वीरों में मुलाकातें-पारसी व्यापारी और समुदाय**', राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा, दिल्ली में। कार्यान्वित की जा रही 'हमारी धरोहर' नामक योजना के अंतर्गत उपर्युक्त प्रदर्शनी के लिए ₹13.24 करोड़ का अनंतिम बजट मंजूर किया गया है। इन प्रदर्शनियों की प्रबंध व्यवस्था के लिए सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में एक संचालन समिति गठित की गई है। इस प्रयोजनार्थ, राष्ट्रीय संग्रहालय को नोडल एजेंसी बनाया गया है। 2016 में राष्ट्रीय संग्रहालय में "शाश्वत ज्योति" प्रदर्शनी के आयोजन के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय और स्कूल ऑफ ओरियन्टल एंड अफ्रीकन स्टडीज (एसओएएस, यूके) के बीच लंदन में 14 जुलाई, 2015 को करार पर राष्ट्रीय संग्रहालय, लंदन विश्वविद्यालय और एसओएएस द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। ***कार्रवाई पूर्ण।***
20.	46	**अवसंरचना** अध्यक्ष महोदया, यह बात किसी से छिपी नहीं है कि विगत दशक में मुख्य चूक अवसंरचना के मोर्चे पर हुई है। हमारी अवसंरचना हमारी विकास महत्वाकांक्षा के अनुरूप नहीं है। सरकारी निवेश तत्काल बढ़ाए जाने की भारी आवश्यकता है। अतः, मैंने रेलवे और सड़कों, दोनों की सकल बजटीय सहायता पर परिव्यय क्रमशः ₹14,031 करोड़ और ₹10,050 करोड़ बढ़ा दिया है। सरकारी क्षेत्र की यूनिटों का पूंजी व्यय ₹3,17,889 करोड़ होना अनुमानित है, जो संशोधित अनुमान 2014-15 की तुलना में लगभग ₹80,844 करोड़ की वृद्धि है। वस्तुतः, अवसंरचना में सभी निवेश 2014-15 के मुकाबले, वर्ष 2015-16 में	अधिक बजटीय सहायता से देश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार को बढ़ावा मिलेगा। चल रही विभिन्न परियोजनाओं की रफ्तार बढ़ाकर अधिक सकल बजटीय सहायता का उपयोग करने के लिए समस्त प्रयास किए जा रहे हैं। 2015-16 के दौरान 10,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके संबंध में दिसम्बर, 2015 तक 7,861 किमी. के लक्ष्य की तुलना में 6353 किमी. के राष्ट्रीय राजमार्ग की संविदा प्रदान की जा चुकी है। 2015-16 के दौरान 6,300 किमी. लम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसकी तुलना में

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		केंद्रीय क्षेत्र के सरकारी उद्यमों में केंद्र की निधियों और संसाधनों में ₹70,000 करोड़ बढ़ जाएंगे।	दिसम्बर, 2015 तक 3,969 किमी. लम्बा राष्ट्रीय राजमार्ग पूरा किया जा चुका है।
		[नोडल मंत्रालय/विभागः आर्थिक कार्य विभाग, रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय]	केंद्रीय सड़क परिव्यय में, 31.12.2015 तक हुआ व्यय निम्नानुसार हैः **आयोजना स्कीमें** बजटीय परिव्ययः ₹39,852.65 करोड़ 28.12.2015 तक व्ययः ₹32,975.03 करोड़ (82.74%) **कुल (आयोजना और आयोजना-भिन्न)** बजटीय परिव्ययः ₹45,517.62 करोड़ 28.12.2015 तक व्ययः ₹35,959.13 करोड़ (79%) मंत्रालय ने 2015-16 के दौरान संशोधित अनुमान के स्तर पर ₹7,450 करोड़ की अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता का अनुमान लगाया है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, यह सूचित किया गया है कि सड़क परियोजना की प्रगति में तेजी लाने और अड़चनें हटाने के लिए मंत्रालय द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें ये शामिल हैं- भूमि अधिग्रहण को सुप्रवाही बनाना, पर्यावरण/वन संबंधी स्वीकृतियों को सुप्रवाही बनाना, रेलवे द्वारा जीएडी अनुमोदनों को सुप्रवाही बनाना, इक्विटी निवेशकों के लिए प्रस्थान की व्यवस्था, प्रीमियम का पुनर्निर्धारण, सड़क क्षेत्र के ऋणों का प्रतिभूतिकरण, अन्य मंत्रालयों के साथ निकट समन्वय, विवाद समाधान तंत्र में सुधार, विभिन्न स्तरों पर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की बार-बार समीक्षा करना आदि। केंद्रीय क्षेत्र के चुनिंदा 32 ऐसे उपक्रमों के संबंध में 30.10.2015 को पूंजी व्यय (कैपेक्स) की समीक्षा की गई है जिनके भारी रिजर्व/नकद शेष हैं। केंद्रीय क्षेत्र के अन्य उपक्रमों के संबंध में, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग कैपेक्स लक्ष्यों की प्रगति को मॉनीटर करते हैं। ***कार्य प्रगति पर है।***
21.	47	दूसरा, मैं राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि स्थापित करना और इसमें ₹ 20,000 करोड़ का वार्षिक प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए धन प्राप्त करना चाहता हूं। इससे यह ट्रस्ट बदले में ऋण जुटाने और भारतीय रेल वित्त निगम और एनएचबी जैसी अवसंरचना वित्त कंपनियों में इक्विटी के रूप में निवेश कर सकेगा। इसके बाद, अवसंरचना वित्त कंपनियां इस	मंत्रिमंडल ने 'राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि' नामक निधि स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस निधि को सेबी के अधीन श्रेणी II वैकल्पिक निवेश निधि के रूप में पंजीकृत किया गया है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम (एनएचएआई, आईआरएफसी, हुडको, आईआरईडीए, पीएफसी, आरईसी और एनटीपीसी) को

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		अतिरिक्त इक्विटी से लाभ उठा सकती हैं। तीसरा, मैं, रेल, सड़क और सिंचाई क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए कर मुक्त अवसंरचना बांडों को जारी करने की भी अनुमति देना चाहता हूं। चौथा, अवसंरचना विकास के सरकारी-निजी-भागीदारी मोड की समीक्षा करना एवं पुनरूज्जीवित करना जरूरी है। इसमें मुख्य मुद्दा जोखिमों के पुनःसंतुलन का है। अवसंरचना परियोजनाओं में सरकार को निश्चित रूप से इसके पूर्णरूपेण आत्मसात किए बगैर जोखिम के बड़े भाग को वहन करना होगा। [नोडल मंत्रालय/विभागःआर्थिक कार्य विभाग]	2015-16 के दौरान दिनांक 6.7.2015 की अधिसूचना के जरिए ₹ 40,000 करोड़ के कर-मुक्त बांड आवंटित किए गए हैं। 11.1.2016 तक, ₹ 26,160.50 करोड़ की कुल राशि जुटाई गई (निजी+सरकारी)। पीपीपी माडल पर पुनर्विचार करने और इसका पुनरुद्धार करने के लिए डॉ. विजय केलकर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने 19.11.2015 को समिति को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति ने पीपीपी परियोजनाओं में नीति, अभिशासन और संस्थागत क्षमता के सुदृढ़ीकरण और संविदात्मक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के संबंध में सिफारिशें की हैं। यह रिपोर्ट www.finmin.nic.in पर अपलोड कर दी गयी है। इस रिपोर्ट की प्रति संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, केंद्रीय संगठनों और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को उनके अवलोकनार्थ और अभिमतों के लिए भी भेज दी गई है। ***कार्रवाई पूर्ण।***
22.	48	पांचवां, मैं नीति आयोग में अटल नवोन्मेष मिशन की भी स्थापना करना चाहता हूं। अटल नवोन्मेष मिशन एक नवोन्मेष संवर्धन मंच होगा। इसमें शिक्षाविदों, उद्यमियों और शोधकर्ताओं को शामिल किया जाएगा और वे भारत में नवोन्मेष, अनुसंधान और विकास और वैज्ञानिक अनुसंधान की संस्कृति विकसित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से सीखेंगे। यह मंच विश्वस्तरीय नवोन्मेष केंद्रों के नेटवर्क तथा भारत के लिए बड़ी चुनौतियों को भी बढ़ावा देगा। आरंभ में, इस प्रयोजन के लिए ₹150 करोड़ की राशि निश्चित की जाएगी। [नोडल मंत्रालय/विभागःनीति आयोग]	एआईएम और सेतु संबंधी प्रस्तावों का मूल्यांकन 28 अगस्त, 2015 को व्यय वित्त समिति द्वारा किया गया। इस समिति ने सिफारिश की कि अटल नवोन्मेष मिशन के दो घटक होंगे अर्थात नवोन्मेष और उद्यमिता। इस समिति ने 12वीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए एआईएम और सेतु दोनों के लिए ₹500 करोड़ की धनराशि दिए जाने की सिफारिश भी की। नीति आयोग ने उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में मिशन उच्च स्तरीय समिति गठित की है। माननीय प्रधानमंत्री ने स्टार्ट-अप इंडिया कार्य योजना के शुभारंभ के तौर पर 16 जनवरी, 2016 को स्वरोजगार एवं प्रतिभा उपयोग के अटल नवोन्मेष मिशन की शुरूआत की। ***कार्रवाई पूर्ण हुई।***
23.	49	भारत के पास सुप्रतिष्ठित और विश्वस्तरीय आईटी उद्योग है जिसके पास लगभग 150 बिलियन अमरीकी डालर का राजस्व, 100 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक का निर्यात है और यह उद्योग सीधे लगभग 40 लाख लोगों को रोजगार देता है। अब हम स्टार्ट-अप में अधिक रूचि देख रहे हैं। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का प्रयोग, विचारों से मूल्यों का सृजन करना और उन्हें कार्यक्रमों एवं	--वही--

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		आरोह्य उद्यमों तथा कारोबार में बदलना, हमारे युवा वर्ग को कार्य में लगाने और हमारे देश का समावेशी एवं स्थायी विकास करने की हमारी कार्यनीति का मुख्य आधार है। वैश्विक पूंजी जुटाने की अधिक उदार प्रणाली, हमारे उत्कृष्टता केंद्रों में उन्नत सुविधाएं, आधार पूंजी और विकास के लिए वित्तपोषण और कारोबार करने में आसानी से जुड़े सरोकार का निराकरण किए जाने की जरूरत है ताकि लाखों नौकरियां सृजित हों और करोड़ों डॉलर कमाए जा सकें। [नोडल मंत्रालय/विभागः नीति आयोग]	
24.	50	इस उद्देश्य के साथ, सरकार सेतु (स्व-रोजगार और प्रतिभा-उपयोग) नामक तंत्र की स्थापना कर रही है। सेतु एक औद्योगिकीय-वित्तीय, इन्क्यूबेशन और सुविधा कार्यक्रम होगा जो अन्य स्व-रोजगार के क्रियाकलापों, विशेषकर प्रौद्योगिकी प्रेरित क्षेत्रों में स्टार्ट-अप व्यवसाय चलाने के सभी पहलुओं में सहायता करेगा। इस प्रयोजन के लिए, मैं नीति आयोग में आरंभिक रूप में ₹1000 करोड़ निर्धारित करता हूं। [नोडल मंत्रालय/विभागः नीति आयोग]	--वही--
25.	51	जैसाकि लघु पत्तनों में प्राप्त सफलता ने दिखाया है, पत्तन निजी क्षेत्र के लिए आकर्षक निवेश संभावना बन सकते हैं। सरकारी क्षेत्र के पत्तनों को ऐसा निवेश जुटाने तथा उनके पास अप्रयुक्त पड़े भू-संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता है। हमें ऐसा करने में समर्थ बनाने के लिए, सरकारी क्षेत्र के पत्तनों को कंपनी अधिनियम के तहत निगमित करने और कंपनियां बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। [नोडल मंत्रालय/विभागः पोत परिवहन मंत्रालय]	सरकार आज की जरूरतों के अनुरूप संस्थागत ढांचे का आधुनिकीकरण करने और पत्तनों के लिए अधिक प्रचालनात्मक स्वतंत्रता हासिल करने की दृष्टि से प्रमुख पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में संशोधन करने के प्रस्तावों की जांच कर रही है। ***कार्य प्रगति पर है।***
26.	52	अध्यक्ष महोदया, निवेशक अनेकानेक अपेक्षित अनुमतियां प्राप्त करने के लिए अपार समय और संसाधन खर्च करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि भारत में कारोबार करने में आसानी हो। मैंने स्वयं ई-बिज पोर्टल शुरू किया है जो एक ही स्रोत पर 14 विनियामक अनुमतियों को एकीकृत करता है। कई	सरकार भारत को एक निवेश गंतव्य बनाने के लिए नीतियों के परिवर्तन पर सहमत है जिसके लिए कुछेक विभागों की समन्वित कार्रवाई की जरूरत होगी। विभाग ने 6 अप्रैल, 2015 को एक विशेषज्ञ समिति गठित कर दी है, जो अनेकानेक पूर्वानुमतियां प्राप्त करने की व्यवस्था को

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		राज्य इस मंच को स्वीकार कर रहे हैं और इसमें शामिल हो रहे हैं। तथापि, यदि हम वाकई नौकरियां सृजित करना चाहते है तो हमें भारत को ऐसा निवेश गंतव्य बनाना होगा जहां सार्वजनिक रूप से उद्घोषित मार्ग निर्देशों और मापदण्डों के अनुसार कारोबार शुरू किया जा सकता हो। [नोडल मंत्रालय/विभागःऔद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग]	हटाकर पूर्ववर्ती विनियामक तंत्र स्थापित करने की संभावना की जांच करेगी। इस समिति ने विभिन्न हित धारकों के साथ बातचीत की है। इस समिति ने विनियामक अनुमोदनों और तीसरा पक्ष प्रमाणन, पर्यावरणीय स्वीकृतियों, वन संबंधी स्वीकृतियों और मानक स्थापित करने तथा उन मानकों के अनुपालन के परीक्षण और प्रमाणन के संबंध में सिफारिशें की हैं। ***कार्रवाई पूर्ण।***
27.	53	मैं, इस प्रयोजन के लिए संभावना की जांच करने और विधान का प्रारूप तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति नियुक्त करना चाहता हूं, जहां कई पूर्वानुमतियों को पहले से ही मौजूद विनियामक तंत्र द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सके। [नोडल मंत्रालय/विभागःऔद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग]	--वही--
28.	54	सरकार 5 नई अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं शुरु करने का भी प्रस्ताव रखती है, प्रत्येक की क्षमता 4000 मेगावाट की होगी और वे प्लग एण्ट प्ले मोड में होंगी। पारदर्शी नीलामी पद्धति के द्वारा परियोजना के कार्य पर संविदा दिया जाने से पूर्व सभी तरह की मंजूरियां क्रियान्वित की जाएंगी। इसे ₹1 लाख करोड़ तक का निवेश प्राप्त होना चाहिए। सरकार, सड़क, पत्तनों, रेल लाइनों, हवाई अड्डों आदि जैसी अन्य अवसंरचना परियोजनाओं में इस प्रकार की प्लग-एण्ड-प्ले परियोजनाओं पर भी विचार करेगी। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कुडनकुलम न्यूक्लीयर विद्युत केंद्र की दूसरी यूनिट 2015-16 में चालू हो जाएगी। [नोडल मंत्रालय/विभागःविद्युत मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय, रेल मंत्रालय]	**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**- सड़क परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाने और अड़चनें हटाने के लिए मंत्रालय द्वारा अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें ये शामिल हैं- भूमि अधिग्रहण को सुप्रवाही बनाना, पर्यावरण/वन संबंधी स्वीकृतियों को सुप्रवाही बनाना, रेलवे द्वारा जीएडी अनुमोदनों को सुप्रवाही बनाना, इक्विटी निवेशकों के लिए बाहर निकलने की व्यवस्था, प्रीमियम का पुनर्निर्धारण, सड़क क्षेत्र के ऋणों का प्रतिभूतिकरण, अन्य मंत्रालयों के साथ घनिष्ठ समन्वय, विवाद समाधान तंत्र में सुधार, विभिन्न स्तरों पर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की बार-बार समीक्षा करना आदि। **विद्युत मंत्रालयः** विद्युत मंत्रालय ने बोली प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित पांच यूएमपीपी की पहचान की हैः (i) चेयूर यूएमपीपी, तमिलनाडु (ii) बेदाबहल यूएमपीपी, ओडिशा (iii) बिहार यूएमपीपी (iv) देवघर यूएमपीपी, झारखंड (v) तिलैया यूएमपीपी, झारखंड (पुनर्बोली)

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की प्रास्थिति

तीन यूएमपीपी नामतः चेयूर यूएमपीपी, तमिलनाडु, बेदबहाल यूएमपीपी, ओडिशा तथा बिहार यूएमपीपी की बोली लगाने से इस वित्त वर्ष में लगभग ₹90,000 करोड़ का निवेश आने की उम्मीद है। देवघर यूएमपीपी और तिलैया यूएमपीपी, झारखंड की बोली अगले वित्त वर्ष में विधिवत प्रक्रिया पूरी करने के बाद लगाई जाएगी जिससे ₹60,000 करोड़ का निवेश आएगा।

पोत परिवहन मंत्रालयः पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि किसी प्रमुख पत्तन में एकल परियोजनाएं या क्रियाकलाप जैसे कि ड्रेजिंग (निष्कर्षण), विभिन्न निर्माण कार्य आदि के लिए, यदि पत्तन द्वारा इन क्रियाकलापों के क्रियान्वयन हेतु काल-चरणों सहित ऐसी सभी परियोजनाओं या क्रियाकलापों के लिए मास्टर प्लान तैयार किया हो, व्यापक ईआईए और ईएमपी रिपोर्ट तैयार की गई हो और संगत अधिसूचना के अंतर्गत उचित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए संपूर्ण परियोजना के लिए ईसी और सीआरजेड स्वीकृति प्राप्त किया गया हो तो अलग से पर्यावरण और तट विनियमन जोन स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, प्रमुख पत्तनों को आगामी 10 वर्षों के दौरान शुरू की जाने वाली पत्तन की सभी भावी परियोजनाओं/क्रियाकलापों को शामिल करते हुए एक मास्टर प्लान तैयार करने तथा उन्हें ईसी और सीआरजेड स्वीकृति प्राप्त करने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजने की सलाह दी गई है ताकि वह मंत्रालय एक बार में ही मास्टर प्लान के लिए स्वीकृति प्रदान करने पर विचार कर सके। इसके अतिरिक्त, प्रमुख पत्तनों में पीपीपी परियोजनाओं के संबंध में मॉडल रियायत करार के अनुसार सभी लागू अनुमतियों और अपेक्षित स्वीकृति को परियोजना पर कार्य करने वाले रियायत प्राप्तकर्ता के लिए रियायत अवधि आरंभ होने से पूर्व प्राप्त कर लेना अपेक्षित है।

रेल मंत्रालयः रेल लाइनों के लिए निविदा वानिकी स्वीकृति सहित 70 प्रतिशत भूमि उपलब्ध होने पर खुली निविदा पद्धति के आधार पर प्रदान की जाती है।

परमाणु ऊर्जा विभागः कुदानकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना की दूसरी इकाई संस्थापित की जा रही है तथा दिसम्बर, 2015 की स्थिति के अनुसार इसमें 98.69 प्रतिशत संचयी वास्तविक प्रगति हासिल हुई है। यूनिट की "हॉट रन" सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। रिएक्टर प्रेशर वेसल और संबद्ध पाइपिंग का सेवापूर्व निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि रिएक्टर कूलेंट पम्प इम्पेलर कवर लॉक बोल्ट के डिजाइन में परिवर्तन की जरूरत है और बाद में इस घटक को बदलने की आवश्यकता होगी; प्राथमिक दाब बाउंड्री का हिस्सा स्टीम जेनरेटर

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			को गहन निरीक्षण की जरूरत है और आपातिक कूलिंग प्रणाली वाल्व को रखरखाव की जरूरत है जिसके घटक मूल उपस्कर विनिर्माता द्वारा सप्लाई किए जाने हैं। इन अपेक्षाओं का अनुपालन, जो अभी जारी है, किए जाने के बाद, यूनिट-2 का स्टार्ट-अप 2016-17 की पहली तिमाही में अंतरित किए जाने की संभावना है। ***कार्य प्रगति पर है।***
29.	55	अध्यक्ष महोदया, मैं वर्ष के दौरान कर-उछाल से कुछ अतिरिक्त संसाधन जुटाने की आशा करता हूं। यदि मैं सफल हुआ तो बजटीय आवंटन से अतिरिक्त भी, मनरेगा के लिए आवंटन में ₹5000 करोड़ बढ़ाने का प्रयास करूंगा; एकीकृत बाल विकास स्कीम में ₹1500 करोड़, एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम के लिए ₹500 करोड़ और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए ₹3,000 करोड़ बढ़ाने और एनआईआईएफ में ₹5000 करोड़ का आरंभिक अंतर्वाह बढ़ाने के लिए प्रयास करूंगा। [नोडल मंत्रालय/विभागः महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय]	आईसीडीएस के कार्यान्वयन के लिए 2015-16 की पूरक मांगों के पहले बैच में ₹3600 करोड़ की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के आंवटन में, संसद के शीतकालीन सत्र, 2015 में पूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच के जरिए ₹2500 करोड़ की वृद्धि की गई है। ***कार्य प्रगति पर है।***
30.	56	**वित्तीय बाजार** भारत में अवसंरचना सेक्टर में निवेश सहित निवेशों को प्रोत्साहित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक भारतीय बांड बाजार की गहनता है, जिसे हमें उसी स्तर पर लाना है जहां हमारा विश्व स्तरीय इक्विटी बाजार है। मैं, इस वर्ष लोक ऋण प्रबंधन एजेंसी की स्थापना करके, इस प्रक्रिया को शुरु करना चाहता हूं। इससे भारत का विदेशी उधार और घरेलू ऋण दोनों एक ही छत के नीचे आ जाएंगे। [नोडल मंत्रालय/विभागः आर्थिक कार्य विभाग]	सरकार लोक ऋण प्रबंधन एजेंसी (पीडीएमए) स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि पीडीएमए से संबंधित प्रस्ताव अप्रैल, 2015 में लोकसभा में वित्त विधेयक, 2015 के आधिकारिक संशोधन प्रस्तुत करते समय वापस ले लिए गए थे, सरकार ने आरबीआई के साथ परामर्श करके ऋण प्रबंधन कार्यों को आरबीआई से अलग करने के लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार करने का निर्णय लिया है। ***कार्य प्रगति पर है।***
31.	57	मैं वायदा बाजार आयोग को सेबी में विलय करने का भी प्रस्ताव करता हूं ताकि वस्तु वायदा बाजारों का विनियमन मजबूत किया जा सकें और अंधाधुंध संट्टेबाजी कम की जा सके। वित्त विधेयक, 2015 में, विधान को समर्थकारी बनाने, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है। [नोडल मंत्रालय/विभागः आर्थिक कार्य विभाग]	एफएमसी-सेबी का विलयन 28.9.2015 को हो चुका है और अधिसूचना जारी की जा चुकी है। ***कार्रवाई पूर्ण।***

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
32.	58	पूंजी लेखा नियंत्रण एक नीति है न कि विनियामक विषय। अतः, मैं वित्त विधेयक के जरिए फेमा की धारा-6 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं ताकि स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की जा सके कि इक्विटी की तरह ही पूंजी प्रवाहों पर भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके सरकार द्वारा नियंत्रण रखा जाए। [नोडल मंत्रालय/विभागः आर्थिक कार्य विभाग]	'ऋण' और 'ऋण-भिन्न' लिखतों के वर्गीकरण के संबंध में रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करने की प्रक्रिया चल रही है। ***कार्य प्रगति पर है।***
33.	59	समुचित रूप से कार्यशील पूंजी बाजार के लिए यथोचित उपभोक्ता संरक्षण की भी जरूरत है। अतः मैं क्षेत्रीय तटस्थ वित्तीय निपटान एजेंसी की स्थापना करने के लिए एक कार्य बल बनाने का भी प्रस्ताव करता हूं। यह सभी वित्तीय सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध शिकायतों का समाधान करेगी। मुझे सदन को सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि वित्तीय डाटा प्रबंधन केद्र, वित्तीय क्षेत्र अपीलीय अधिकरण, समाधान निगम और लोक ऋण प्रबंधन एजेंसी संबंधी कार्य बल को सौंपे गए कार्यों में संतोषजनक प्रगति हो रही है। हमने भारतीय वित्त संहिता के संबंध में अनेक सुझाव प्राप्त किए हैं। इस समय, इनकी समीक्षा न्यायमूर्ति श्रीकृष्ण समिति द्वारा की जा रही है। मुझे विश्वास है कि जल्द ही भारतीय वित्त संहिता को संसद में विचारार्थ पुरःस्थापित किया जाएगा। [नोडल मंत्रालय/विभागः आर्थिक कार्य विभाग]	कार्यबल का गठन 5.6.2015 को किया गया है। कार्यबल की रिपोर्टों की जांच की गई है। समाधान निगम, वित्तीय डाटा प्रबंधन केन्द्र, लोक ऋण प्रबंध एजेंसी और प्रतिभूति अपीलीय अभिकरण के सुदृढ़ीकरण/स्थापना की प्रक्रिया चल रही है। मार्च, 2013 से दिसम्बर, 2014 के दौरान, सभी हितधारकों से प्राप्त अभिमतों के आलोक में मसौदा आईएफसी में संशोधन किया गया है। जुलाई/अगस्त, 2015 में सार्वजनिक परामर्श के दौरान प्राप्त अभिमत समेकित कर लिए गए हैं और उनके संबंध में सरकार का जवाब तैयार करने की कार्रवाई चल रही है। संसद में बिल पेश करने के लिए यथार्थपरक लक्ष्य तय करने हेतु आरंभिक कार्य का मूल्याकंन किया जाना है। ***कार्य प्रगति पर है।***
34.	61	अध्यक्ष महोदया, निष्क्रिय कर्मचारी भविष्य निधि खातों के संबंध में और कर्मचारी राज्य बीमा के दावा-अनुपात को सभी भलीभांति जानते है। यहां उनका उल्लेख करना मात्र पुनरावृत्ति होगी। यह कहा गया है कि ये दोनों संस्थाएं सेवाप्रदाता कम और कल्याणपरक अधिक हैं। इसके अलावा, न्यून वेतन वाले कामगारों की वेतन कटौतियों का प्रतिशत बेहतर वेतन पाने वाले कामगारों की वेतन कटौतियों की तुलना में अधिक है। [नोडल मंत्रालय/विभागः श्रम एवं रोजगार मंत्रालय]	ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 में संशोधन करने के लिए मंत्रिमंडल टिप्पणी विधीक्षा हेतु विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय को भेज दी गई है। ईएसआई अधिनियम, 1948 में संशोधन के लिए त्रिपक्षीय परामर्श 13 अगस्त, 2015 को आयोजित किया गया था। इसके अलावा, केन्द्रीय मजदूर संघों के साथ 6.10.2015 को एक बैठक आयोजित की गई। केन्द्रीय मजदूर संघों से प्राप्त जानकारी के आधार पर, अंतः मंत्रालयी परामर्श के लिए मसौदा मंत्रिमंडल टिप्पणी तैयार की गई है। ***कार्य प्रगति पर है।***
35.	62	कर्मचारी भविष्य निधि के संबंध में, कर्मचारी को दो विकल्प दिए जाने की आवश्यकता है। पहला,	--वही--

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		कर्मचारी स्वयं कर्मचारी भविष्य निधि या नई पेंशन स्कीम का विकल्प चुने। दूसरा, आरंभिक सीमा से कम मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान, नियोक्ता के अंशदान को घटाए या प्रभावित किए बिना, वैकल्पिक होना चाहिए। कर्मचारी राज्य बीमा का जहां तक सम्बन्ध है, कर्मचारी को कर्मचारी राज्य बीमा या बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (इरडा) द्वारा मान्य कोई स्वास्थ्य बीमा उत्पाद चुनने का विकल्प होना चाहिए। सभी सम्बद्ध पक्षों से विचार-विमर्श के बाद, हम इस सम्बन्ध में कानून में संशोधन करना चाहते हैं। [नोडल मंत्रालय/विभागः श्रम एवं रोजगार मंत्रालय]	
36.	63	**स्वर्ण का मुद्रीकरण** भारत विश्व में स्वर्ण के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है तथा प्रतिवर्ष 800-1000 टन स्वर्ण का आयात करता है। यद्यपि, भारत में 20,000 टन से अधिक के स्वर्ण भंडार का अनुमान है, अधिकांशतः यह स्वर्ण न तो व्यापार में और न ही मुद्रीकरण में प्रयुक्त होता है। मैं प्रस्ताव करता हूँ किः	
		i) स्वर्ण मुद्रीकरण स्कीम जारी की जाए, जो वर्तमान स्वर्ण जमा और स्वर्ण धातु ऋण स्कीमों दोनों का स्थान लेगी। नई स्कीम सोना जमा कराने वाले व्यक्ति को उसके धातु खाते में ब्याज अर्जन तथा ज्वेलरों को उनके धातु खाते में ऋण प्राप्त करने की अनुमति देगी। बैंक/अन्य डीलर भी स्वर्ण का मुद्रीकरण कर सकेंगे।	यह योजना 5 नवम्बर, 2015 को शुरू की गई।
		ii) स्वर्ण धातु की खरीद के विकल्प के रूप में सरकारी स्वर्ण बांड की वैकल्पिक वित्तीय आस्ति का भी विकास करना होगा। इन बांडों पर एक निश्चित ब्याज-दर होगी और बॉण्ड के धारक को बॉण्ड मोचन के समय स्वर्ण के अंकित मूल्य के संदर्भ में नकद प्रतिदेय होंगे।	यह योजना 5 नवम्बर, 2015 को शुरू की गई।
		iii) भारतीय स्वर्ण सिक्का बनाने का काम शुरू करना, जिसके पटल पर अशोक चक्र बना होगा। इस प्रकार के भारतीय स्वर्ण सिक्कों से देश के बाहर बनाए गए सिक्कों की मांग में कमी आएगी और देश में उपलब्ध स्वर्ण के पुनर्चक्रण में मदद मिलेगी।	5 नवम्बर, 2015 को यह योजना शुरू की गई तथा सिक्का जारी किया गया। ***कार्रवाई पूर्ण।***
		[नोडल मंत्रालय/विभागः आर्थिक कार्य विभाग]	

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
37.	64	काले धन के प्रवाह को रोकने का एक उपाय नकद में होने वाले लेन-देनों को हतोत्साहित करना है। अब, जबकि अधिकतर भारतीयों के पास रुपे डेबिट कार्ड है या यह लिया जा सकता है, अतः मैं, जल्द ही कई उपाय आरम्भ करने का प्रस्ताव करता हूँ। इनसे क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड लेन-देन को प्रोत्साहित और नकद लेन-देनों को हतोत्साहित किया जाएगा। [नोडल मंत्रालय/विभागः आर्थिक कार्य विभाग]	कार्डों और "डिजिटल माध्यम" के जरिए भुगतानों के संवर्धन से संबंधित एक टिप्पणी अनुमोदन प्राप्ति के अंतिम चरण पर है। ***कार्य प्रगति पर है।***
38.	65	**निवेश** सेबी द्वारा वैकल्पिक निवेश निधि विनियमन अधिसूचित किए गए हैं। ऐसी वैकल्पिक निवेश निधियां घरेलू निवेशों को सुसाध्य बनाने के लिए अन्य साधन प्रदान करेंगी। सभी स्रोतों से निवेशों को बढ़ाने की जरूरत के मद्देनजर, मैं, वैकल्पिक निवेश निधियों में विदेशी निवेशों की अनुमति देने का भी प्रस्ताव करता हूँ। [नोडल मंत्रालय/विभागः आर्थिक कार्य विभाग]	भारतीय रिजर्व बैंक की तारीख 16 नवम्बर, 2015 की अधिसूचना संख्या 355/2015-आरबी के जरिए, सरकार ने सेबी(एआईएफ) 2012 विनियम के तहत पंजीकृत और विनियमित वैकल्पिक निवेश निधि(एआईएफ) के यूनिटों में विदेशी निवेश को अनुमति दे दी है। ***कार्रवाई पूर्ण।***
39.	66	विदेशी निवेश जुटाने के लिए, भारतीय कम्पनियों हेतु प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने हेतु, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विभिन्न प्रकार के विदेशी निवेशों, खासकर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशों और विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों के बीच के विभेद को दूर किया जाए और उनके स्थान पर सम्मिश्र उच्चतम सीमाएं लायी जांए। जो क्षेत्र पहले से ही 100 प्रतिशत स्वचालित मार्ग के अंतर्गत आते हैं, प्रभावित नहीं होंगे। [नोडल मंत्रालय/विभागः औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग]	सरकार ने तारीख 30.7.2015 के प्रेस नोट सं. 8(2015 श्रृंखला) के जरिए एफडीआई नीति में मिश्रित सीमा आरंभ की है। विदेशी निवेश में सभी प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप शामिल होंगे, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि उक्त निवेश फेमा(भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का निर्गम अथवा अंतरण) विनियमों की अनुसूची-1(एफडीआई), 2(एफआईआई), 2क(एफपीआई), 3(एनआरआई), 6(एफवीसीआई), 8(क्यूएफआई), 9(एलएलपी) और 10(डीआर) के तहत किया गया हो। मौजूदा तरीका विदेशी निवेश सीमा अथवा क्षेत्रक सीमा को लेकर निवेशकों के दिमाग में किसी दुविधा को दूर कर सकेगा। उपर्युक्त के अलावा, यह निर्धारित किया गया है कि एफपीआई/एफआईआई द्वारा 49 प्रतिशत तक किए गए निवेश के संबंध में एफआईपीबी का अनुमोदन लेना अपेक्षित नहीं होगा। ***कार्रवाई पूर्ण।***
40.	67	भारत सरकार की "एक्ट ईस्ट" नीति दक्षिण-पूर्वी एशिया में घनिष्ठ आर्थिक और कार्यनीतिक सम्बन्धों को बढ़ाने की दिशा में किया गया प्रयास है। इस क्षेत्र में भारतीय निजी सेक्टर से निवेश	ईएफसी टिप्पणी को मंजूरी दे दी गई है। मंत्रिमंडल टिप्पणी तैयार की गई है जिसे अभी मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। ***कार्य प्रगति पर है।***

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		को उत्प्रेरित करने के लिए, परियोजना विकास कंपनी सीएमएलवी देशों अर्थात् कम्बोडिया, म्यांमार, लाओस और वियतनाम में, पृथक विशेष प्रयोजन साधनों के माध्यम से, विनिर्माण केंद्रों की स्थापना करेगी। [नोडल मंत्रालय/विभागःवाणिज्य विभाग]	
41.	68	**सुरक्षित भारत** मेरी सरकार महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए वचनबद्ध है। महिलाओं की सुरक्षा, समर्थन और जागरूकता वाले कार्यक्रमों की सहायता के लिए, .मैंने निर्भया कोष में अतिरिक्त ₹1000 करोड़ मुहैया कराने का निर्णय किया है। [नोडल मंत्रालय/विभागः महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग]	2016-17 से आगे निर्भया निधि से वित्त पोषित की जाने वाली योजनाओं को संबंधित अनुदान मांगों की आवश्यकता के अनुसार निधियां प्रदान की जाएंगी। वन स्टाप सेंटर और महिला हेल्पलाइन का वित्त पोषण निर्भया निधि के जरिए किया जाना है। अब तक, इन दो योजनाओं में क्रमशः ₹10.71 करोड़ और ₹13.92 करोड़ के व्यय की मंजूरी दी जा चुकी है। निर्भया निधि के प्रशासन और प्रचालन के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सचिव, महिला और बाल विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है जिसमें सचिव, गृह मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, इलैक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं आर्थिक कार्य विभाग के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल हैं और ये सदस्य निर्भया निधि से वित्त पोषित किए जाने वाले, मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रस्तावित योजनाओं/ परियोजना-प्रस्तावों का मूल्यांकन और अनुमोदन करेंगे। ***कार्रवाई पूर्ण।***
42.	69	**पर्यटन** भारत में सांकृतिक विश्व धरोहर के 25 (पच्चीस) स्थल हैं। इनमें सुविधाओं की अभी भी बहुत कमी है और इनकी बहाली अपेक्षित है। इनमें भूदृश्य सुधार, संकेत तथा भाषान्तर केंद्र, पार्किंग, विकलांग व्यक्तियों के लिए अभिगमन सुविधाएं; सुरक्षा और शौचालयों सहित आगन्तुकों हेतु सुख-सुविधाएं; तथा प्रकाशीकरण एवं उसके आस-पास रहने वाले व्यक्तियों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं का अभाव है। मैं निम्नलिखित धरोहर स्थलों के लिए इन सुविधाओं पर आधारित कार्य शुरू करने	(i) **पुराने गोवा के चर्च और कॉन्वेंटः** अब तक मुहैया कराई गई सुविधाओं में ये शामिल हैंः नामपट्ट, सेंट आगस्टिन काम्प्लेक्स में व्याख्या केन्द्र, रेंप और व्हील चेयर, सुरक्षा कर्मी, प्रकाश व्यवस्था। चालू वित्त वर्ष में इस संरक्षण कार्यक्रम में मरम्मत कार्य, उन्नयन, संरक्षण और विकास कार्यों का प्रस्ताव किया गया है। अनुमानों का अनुमोदन कर दिया गया है। (ii) **हम्पी, कर्नाटकः** हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर, लोटस महल और शाही आंगन के लिए संरक्षण कार्य का प्रस्ताव किया है। पर्यटक सुविधाओं का उन्नयन किया जा रहा है। खुले इलाकों की सजावट की जा रही है।

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		का प्रस्ताव करता हूँः i) पुराने गोवा के चर्च और कॉन्वेंट ii) हम्पी, कर्नाटक iii) एलीफेन्टा गुफाएं, मुम्बई iv) राजस्थान में कुम्भलगढ़ और अन्य पहाड़ी किल v) रानी की वाव, पाटन, गुजरात vi) लेह पैलेस, लद्दाख, जम्मू कश्मीर vii) वाराणसी मंदिर नगर, उ.प्र. viii) जलियांवाला बाग, अमृतसर, पंजाब ix) कुतुब शाही मकबरे, हैदराबाद, तेलंगाना [नोडल मंत्रालय/विभागःसंस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय]	(iii) **एलीफेंटा की गुफाएं, मुंबईः** चालू वित्त वर्ष में आवश्यक संरक्षण और विकास कार्यों के लिए प्रावधान रखा गया है। अनुमानों का अनुमोदन कर दिया गया है। (iv) **कुम्भलगढ़ और राजस्थान के अन्य पहाड़ी किलेः** एएसआई के संरक्षण में रणथम्भौर, कुम्भलगढ़, चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर के किलों में आवश्यक संरक्षण कार्य किया जा रहा है। इन स्थलों पर पर्यटक सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है। अनुमानों का अनुमोदन कर दिया गया है। (v) **रानी की वाव, पाटन(वड़ोदरा सर्कल):** संरक्षण कार्य के लिए अनुमानों का अनुमोदन कर दिया गया है (vi) **लेह पैलेस, लद्दाख, जम्मू-कश्मीरः** संरक्षण के लिए आवश्यक अनुमान तैयार कर लिए गए हैं। 2015-16 की पूरक अनुदान मांगों के पहले बैच में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए नकद व्यय हेतु ₹20.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है। (vii) **वाराणसी मंदिर नगर, उत्तर प्रदेशः** 2015-16 के बजट भाषण में घोषित की गई राष्ट्रीय तीर्थाटन पुनरूद्धार और अध्यात्म वर्धन अभियान (प्रसाद) मिशन योजना के तहत वाराणसी को शामिल किया गया है। मिशन सचिवालय ने सीएसएमसी (केंद्रीय मंजूरी और मॉनीटरिंग समिति) द्वारा मंजूरी हेतु ₹24.62 करोड़ की अनुमानित लागत पर 6 परियोजनाओं की सिफारिश की है। (viii) **जलियांवाला बाग, अमृतसर, पंजाबः** जलियांवाला बाग मेमोरियल ट्रस्ट को ₹7.51 करोड़ जारी कर दिए गए हैं जिसने आगे आईटीडीसी को ₹5.36 करोड़ जारी कर दिए हैं। आईटीडीसी ने अब तक ₹3.93 करोड़ की राशि का उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है। (ix) **कुतुबशाही मकबरे, हैदराबाद, तेलंगानाः** हैदराबाद, तेलंगाना स्थित कुतुबशाही मकबरों के लिए परियोजना पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एंजेंसियों को सहायता की योजना के तहत शुरू किये जाने का प्रस्ताव है। हैदराबाद स्थित कुतुबशाही मकबरे राज्य संरक्षित स्मारक हैं। तेलंगाना सरकार ने डीपीआर तैयार करवाई है और उसे एएसआई को यह अनुरोध करते हुए प्रस्तुत किया है कि वह नोडल एजेंसी

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			के रूप में कार्य करते हुए इस परियोजना को शुरू करें। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने उक्त परियोजना को राज्य सरकार के लिए "डिपाजिट वर्क" के रूप में कार्यान्वित करने पर अपनी सहमति दे दी है। ***कार्रवाई पूर्ण।***
43.	70	43 देशों के पर्यटक यात्रियों को जारी आगमन वीजा की सफलता के बाद, मैं इस सुविधा के अंतर्गत अलग-अलग चरणों में, 150 देशों को शामिल करना चाहता हूँ। [नोडल मंत्रालय/विभागः गृह मंत्रालय]	यह योजना भारत के 16 निर्दिष्ट विमान पत्तनों पर 113 देशों पर लागू कर दी गई है। मार्च, 2016 तक यह योजना 150 देशों पर लागू कर दी जाएगी। ***कार्रवाई पूर्ण।***
44.	71	**हरित भारत** अध्यक्ष महोदया, चूंकि पर्यावरणीय प्रदूषण अन्य लोगों की अपेक्षा गरीबों के लिए ज्यादा नुकसानदेह होता है, इसलिए हम वचनबद्ध हैं कि हमारी समूची विकास प्रक्रिया यथा संभव हरी-भरी हो। अधिकांश पैट्रोलियम उत्पादों पर हमारा वास्तविक "कार्बन टैक्स" अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है। जहां तक कोयले का संबंध है, हमें प्रदूषण पर कर लगाने और विद्युत मूल्यन के बीच एक बेहतर सन्तुलन तलाशने की जरूरत है। तथापि, इस वर्ष के आरम्भ में, मैं यह उपाय भी शुरू करना चाहता हूँ। मेरी सरकार फास्टर एडोप्शन एंड मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल्स वाहन (एफएएमई) स्कीम भी आरंभ कर रही है। मैं, 2015-16 में इस स्कीम के लिए ₹75 करोड़ के आरंभिक परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का अपना लक्ष्य संशोधित करके 1,75,000 मेगावाट कर दिया है। इसमें सौर द्वारा 1,00,000 मेगावाट, पवन द्वारा 60,000 मेगावाट, बायोमॉस द्वारा 10,000 मेगावाट और लघु पन बिजली से 5000 मेगावाट ऊर्जा की क्षमता शामिल है। [नोडल मंत्रालय/विभागःभारी उद्योग विभाग, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय]	**लक्ष्यों में संशोधन** **सौर विद्युतः** मंत्रिमंडल ने 17.6.2015 को हुई अपनी बैठक में एनएसएम(राष्ट्रीय सौर मिशन) के अंतर्गत ग्रिड से जुड़ी सौर विद्युत परियोजनाओं के संबंध में संचयी लक्ष्य को 2021-22 तक 20,000 मेगावॉट उत्पादन से संशोधित करके 2021-22 तक 1,00,000 मेगावॉट उत्पादन कर दिया है। **पवन विद्युतः** वर्ष 2022 तक 60,000 मेगावॉट पवन विद्युत की संचित क्षमता हासिल करने के लिए वर्षवार अनन्तिम लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। **बायोमास और लघु पनबिजलीः** प्रस्तावित 10,000 मेगावॉट बायोमास विद्युत कार्यक्रम और 5,000 मेगावॉट लघु पनबिजली कार्यक्रम के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन कार्यक्रमों हेतु सीसीईए का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। बायोमास और लघु पनबिजली कार्यक्रमों के तहत 12वीं योजनावधि के लिए अनुमोदित लक्ष्य क्रमशः 2700 मेगावॉट और 2100 मेगावॉट हैं। 7300 मेगावाट बायोमास और 2900 मेगावॉट लघु पनबिजली के शेष लक्ष्य के अनुमोदन पर, 13वीं योजना के दौरान, इन योजनाओं की मंजूरी प्राप्त करते समय 12वीं योजना के अंत में विचार किया जाएगा। 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार, लगभग 38820 मेगावॉट ग्रिड से इतर इंटरएक्टिव नवीकरणीय ऊर्जा की संचयी क्षमता देश में संस्थापित कर दी गई है जिसमें पवन विद्युत से प्राप्त 25088 मेगावॉट, सौर विद्युत से प्राप्त 4878 मेगावॉट, लघु पनबिजली से 4177 मेगावॉट और बायो विद्युत से 4677 मेगावॉट क्षमता शामिल है।

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			भारत में इलैक्ट्रिक (और हाईब्रिड) वाहनों के शीघ्र स्वीकरण और विनिर्माण की योजना मार्च, 2015 में पहले ही अधिसूचित की जा चुकी है और दो वर्ष की आरंभिक अवधि के लिए 01 अप्रैल, 2015 से लागू की जा चुकी है। ***कार्रवाई पूर्ण।***
45.	72	अध्यक्ष महोदया, हमने घोटालों, घपलों और भ्रष्टाचार राज को पीछे छोड़ दिया है। सरकारी अधिप्रापण में व्याप्त कदाचार को एक अधिप्रापण कानून लाकर और अनसीटरल मॉडल के अनुरूप एक संस्थागत ढांचा लाकर रोक सकते हैं। मुझे विश्वास है कि संसद को शीघ्र ही इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या हमें प्रापण कानून की जरूरत है और यदि हां, तो उसका आकार-प्रकार क्या हो? [नोडल मंत्रालय/विभागःव्यय विभाग]	सरकारी अधिप्रापण विधेयक, 2012 के संबंध में विभिन्न हितधारकों से अभिमत प्राप्त हो गए हैं। 21 जुलाई, 2015 को प्रत्यक्ष परामर्श किए गए। इसके अलावा, इस मुद्दे पर अंतःमंत्रालयी विचार-विमर्श चल रहे हैं। ***कार्रवाई पूर्ण।***
46.	73	दूसरी तरफ, सरकारी संविदाओं में उत्पन्न विवादों को सुलझाने में काफी समय लगता है, और उनके समाधान की प्रक्रिया काफी खर्चीली भी होती है। ऐसे विवादों के समाधान के लिए संस्थागत व्यवस्था को सुसाध्य बनाने के लिए, मेरी सरकार सरकारी संविदा (विवादों का समाधान) विधेयक पुरःस्थापित करना चाहती है। [नोडल मंत्रालय/विभागःआर्थिक कार्य विभाग]	आरंभिक मसौदा विधेयक वेबसाइट 'MyGov.in' पर अपलोड किया गया है। मसौदा विधेयक तैयार किया जा रहा है और बजट सत्र 2016-17 में संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। ***कार्य प्रगति पर है।***
47.	74	मेरा मानना है कि अवसंरचना के विविध क्षेत्रों में प्रचलित नियामक व्यवस्थाओं में भी आम दृष्टिकोण और सिद्धान्तों के अभाव की समस्या से भी निपटने की आश्यकता है। अतः हमारी सरकार विनियामक सुधार कानून पुरःस्थापित करना चाहती है। इससे अवसंरचना के विविध क्षेत्रों में एक सर्वमान्य दृष्टिकोण बहाल किया जा सकेगा। [नोडल मंत्रालय/विभागःनीति आयोग]	मसौदा विनियामक सुधार विधेयक, 2015 तैयार किया गया है। ***कार्य प्रगति पर है।***
48.	75	**स्किल इंडिया** भारत विश्व के सर्वाधिक युवा राष्ट्रों में से है। हमारे देश की कुल आबादी का 54 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा 25 वर्ष से कम आयु के लोगों का है। आवश्यक है कि हमारे युवा 21वीं शताब्दी की नौकरियों के	माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 15.7.2015 को राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन का शुभारंभ किया गया है। ***कार्रवाई पूर्ण।***

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		लिए शिक्षित और रोजगार पर रखे जाने योग्य हों। प्रधानमंत्री ने बताया है कि किस प्रकार 'स्किल इंडिया कार्यक्रम' और 'मेक इन इंडिया कार्यक्रम' के बीच गहरा तालमेल बैठाने की जरूरत है। आज भी हमारे सक्षम कार्यबल के 5 प्रतिशत से भी कम को ऐसा औपचारिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हो पाता है जिससे वे रोजगार पर रखे जाने योग्य हों और रोजगार में बने रह सकें। [नोडल मंत्रालय/विभागः कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय]	
49.	76	हम शीघ्र ही कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के जरिए एक राष्ट्रीय स्किल मिशन का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस मिशन के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों द्वारा चलाए जा रहे कौशल संबंधी कार्यक्रमों को समेकित किया जाएगा तथा हमारी सभी 31 क्षेत्रीय कौशल परिषदों में प्रक्रियाओं और परिणामों के मानकीकरण का अवसर प्रदान किया जाएगा। [नोडल मंत्रालय/विभागः कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय]	--वही--
50.	77	चूंकि भारत की कुल आबादी का लगभग 70% हिस्सा अभी भी गांवों में निवास करता है, अतः ग्रामीण युवाओं की रोजगार-योग्यता में वृद्धि करना, भारत की आबादी से लाभ उठाने की कुंजी है। इसे ध्यान में रखते हुए, हमने दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शुरू की है। इस स्कीम के लिए ₹1,500 करोड़ की राशि निश्चित की गयी है। संवितरण अर्हताप्राप्त विद्यार्थी के बैंक खाते में सीधे ही डिजिटल वाउचर से किया जाएगा। [नोडल मंत्रालय/विभागः ग्रामीण विकास मंत्रालय]	आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 01 मई, 2013 को हुई अपनी बैठक में निर्णय लेकर नियोजन संबद्ध कौशल विकास कार्यक्रम (डीडीयूजीकेवाई) के लिए कुल आवंटन एनआरएलएम आवंटन के 25 प्रतिशत तक किए जाने की अनुमति दे दी है। परिणास्वरूप, डीडीयूजीकेवाई के लिए बजटीय आवंटन एनआरएलएम के आवंटन के 25 प्रतिशत तक सीमित हो गया है। इसलिए, इस घोषणा को कार्यान्वित करने के लिए डीडीयूजीकेवाई के लिए एनआरएलएम के आवंटनों के 25 प्रतिशत की सीमा को हटाना जरूरी था। ताकि इसके योजना आवंटन के तहत उपलब्ध निधियों का उपयोग किया जा सके। डीडीयूजीकेवाई पर आवंटन के जरिए 25 प्रतिशत की सीमा हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और 02 दिसम्बर, 2015 को मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। अब ग्रामीण विकास मंत्रालय ने संशोधित अनुमान के स्तर पर डीडीयूजीकेवाई के लिए आवंटन में अतिरिक्त ₹200.10 करोड़ की मंजूरी ले ली है। ***कार्य प्रगति पर है।***

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
51.	78	इस वर्ष श्री दीन दयाल जी उपाध्याय का 100वां जन्म दिवस मनाया जाएगा। सरकार इस महान राष्ट्रवादी के जन्म-दिवस को ठीक से मनाना चाहती है। शीघ्र ही 100वें जन्म दिवस आयोजन समिति के गठन की घोषणा कर दी जाएगी तथा समारोह हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। [नोडल मंत्रालय/विभागः संस्कृति मंत्रालय]	संस्कृति मंत्रालय ने 25.9.2015 को नेहरू स्मृति संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिवस धूमधाम से मनाया। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर के अग्रणी समाचार पत्रों में पर्याप्त प्रचार किया गया। यह भी निर्णय लिया गया है कि 25.9.2016 से 25.9.2017 के दौरान पं. दीनदयाल उपाध्याय की जन्मशती भी मनाई जाएगी। इन अवसरों के लिए 2015-16 की पूरक अनुदान मांगों के पहले बैच में आवंटित बजट के अतिरिक्त ₹10 करोड़ की अतिरिक्त राशि पहले ही मुहैया करा दी गई है। ***कार्रवाई पूर्ण।***
52.	79	सभी गरीब और मध्यम वर्ग के छात्र अपनी पसंद की उच्च शिक्षा, बिना किसी धनाभाव का सामना किए प्राप्त कर सकें, इसे ध्यान में रखते हुए, मैं, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी कार्यक्रम के माध्यम से, सभी छात्रवृत्तियों और साथ ही शिक्षा ऋण स्कीमों के आद्योपांत प्रशासन और निगरानी के लिए पूरी तरह से सूचना प्रौद्योगिकी आधारित छात्र वित्तीय सहायता प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूँ। हम सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी छात्र निधि की कमी के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रहें। [नोडल मंत्रालय/विभागः उच्चतर शिक्षा विभाग]	विद्या लक्ष्मी पोर्टल का शुभारंभ 15.8.2015 को किया गया। यह पोर्टल शिक्षा ऋणों के लिए बैंकों के लिए गेटवे है और इसका राष्ट्रीय ई-छात्रवृत्ति पोर्टल के साथ लिंकेज भी है। इसमें ऋण आवेदनों की शुरूआत से लेकर ऋण की मंजूरी की पूर्णता अथवा अन्यथा की स्थिति के संबंध में छात्रों को ट्रेक करने की सुविधा भी है। ***कार्रवाई पूर्ण।***
53.	80	माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि जुलाई के बजट भाषण में, मैंने प्रत्येक राज्य में एक प्रमुख केंद्रीय संस्थान उपलब्ध कराने की अपनी मंशा जाहिर की थी। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्त वर्ष 2015-16 में जम्मू-कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और असम में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों की स्थापना की जाए। बिहार में आयुर्विज्ञान को बढ़ावा देने के मद्देनज़र, मैं इस राज्य में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे एक और संस्थान की स्थापना करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं, कर्नाटक में एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) स्थापित करने तथा इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद को एक परिपूर्ण आईआईटी में अपग्रेड करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं, अमृतसर में एक बागवानी अनुसंधान तथा शिक्षा स्नातकोत्तर संस्थान स्थापित करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। जम्मू-कश्मीर तथा	**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालयः** असम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु की राज्य सरकारों ने इन राज्यों में एम्स की स्थापना करने के लिए स्थलों की पहचान कर ली है और अपेक्षित ब्यौरा प्रस्तुत कर दिया है। असम, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु की सरकारों द्वारा प्रस्तावित स्थलों का दौरा केन्द्रीय टीमों ने कर लिया है और उनकी रिपोर्टें प्राप्त हो चुकी हैं। जम्मू-कश्मीर सरकार ने स्थल की पहचान कर ली है और उसका ब्यौरा दे दिया है। केन्द्रीय टीमों ने जम्मू डिवीजन के स्थलों का दौरा कर लिया है। बिहार में एम्स जैसी एक और संस्था स्थापित करने के लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को भूमि की पहचान करने के लिए पत्र लिखा गया है।

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		आंध्र प्रदेश में भारतीय प्रबंध संस्थान स्थापित किए जाएंगे। केरल में मैं, मौजूदा राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण संस्थान को निःशक्तता अध्ययन तथा पुनर्वास विश्वविद्यालय में अपग्रेड करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं तीन नए राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का भी प्रस्ताव करता हूँ जिनमें से एक-एक संस्थान क्रमशः महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाएगा तथा नागालैंड और ओडिशा में एक-एक विज्ञान तथा शिक्षा अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है। मैं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अरूणाचल प्रदेश में सेन्टरफॉर फिल्म प्रोडक्शन, एनिमेशन और गेमिंग तथा हरियाणा एवं उत्तराखंड में महिला प्रशिक्षुता प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का भी प्रस्ताव करता हूँ। [नोडल मंत्रालय/विभागः स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भेषज विभाग]	**उच्चतर शिक्षा विभागः** स्थल चयन समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, यह निर्णय लिया गया है कि कर्नाटक में आईआईटी की स्थापना धारवाड़ तालुका, धारवाड़ में मम्मीगाट्टी और केलागेरी गांव में की जाएगी। जब तक आईआईटी का स्थायी कैम्पस निर्मित नहीं हो जाता, तब तक इसके अस्थायी कैम्पस के तौर पर धारवाड़ में जल और भूमि प्रबंधन संस्थान के परिसर का प्रयोग किया जाएगा। आईआईटी बाम्बे को कर्नाटक में प्रस्तावित आईआईटी के लिए परामर्शक संस्थान के रूप में नामित किया गया है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, जम्मू, केरल और कर्नाटक में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी के रूप में छह नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव 2 दिसम्बर, 2015 को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी गई। इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद को एक पूर्ण आईआईटी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया चल रही है। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में आईआईएम स्थापित किया गया है और शैक्षणिक वर्ष 2015-16 की कक्षाएं शुरू हो चुकी है। जम्मू-कश्मीर सरकार से आईआईएम की स्थापना करने के लिए निःशुल्क भूमि का आबंटन करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है। ओडिशा सरकार ने जिला गंजम में बरहामपुर में अस्थाई/ट्रांजिट कैम्पस संस्थान के लिए और स्थाई कैम्पस के निर्माण के लिए भूमि की पहचान कर ली है। इस संबंध में गठित की गई स्थल चयन समिति ने 17.11.2015 को स्थलों का दौरा किया। जहां तक नागालैंड में एक आईआईएसईआर की स्थापना करने का संबंध है, अब यह प्रस्ताव है कि एक एसपीए नागालैंड में स्थापित किया जाएगा और आईआईएसईआर की स्थापना गुवाहाटी, असम में की जाएगी। इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। **कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभागः** अमृतसर में स्नातकोत्तर बागवानी अनुसंधान और शिक्षण संस्थान की योजना पर कार्रवाई चल रही है। 12वीं योजना अवधि के लिए ₹58.55 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की प्रास्थिति

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग:

संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा केन्द्र सरकार के वरिष्ठ प्रतिनिधियों से बना एक कार्यबल गठित किया गया है जो इस घोषणा के कार्यान्वयन के लिए तंत्र तैयार करेगा। इस कार्यबल के विचार-विमर्श के आधार पर, एनआईएसएच ने केरल सरकार के साथ परामर्श करके राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए डीपीआर तैयार की है। केरल सरकार ने तिरूवनन्तपुरम में विश्वविद्यालय हेतु 50 एकड़ जमीन देने का निर्णय भी किया है।

इस संबंध में व्यय वित्त समिति के विचारार्थ मसौदा टिप्पणी, जो नीति आयोग सहित सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों के अभिमत जानने के लिए नवम्बर के पहले सप्ताह में परिचालित की गई थी, प्राप्त हो गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹1800 करोड़ है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय:

सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, कोलकाता ने अरूणाचल प्रदेश में प्रस्तावित संस्थान स्थापित करने के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है जिस पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। तथापि जलांग, ईटानगर में निर्धारित की गई भूमि अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पक्ष में अंतरित नहीं की गई है जिससे यह मंत्रालय अरुणाचल प्रदेश में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को आगे बढ़ा सके। सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 8 जनवरी, 2016 को मुख्य सचिव, अरूणाचल प्रदेश सरकार से पुनः अनुरोध किया है कि वे उपयुक्त अधिसूचना के जरिए भूमि के अंतरण की प्रक्रिया में तेजी लाएं ताकि परियोजना पर यथाशीघ्र कार्रवाई शुरू की जा सके।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय:

हरियाणा और उत्तराखंड में महिलाओं के लिए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने से संबंधित एसएफसी विचारार्थ आईएडब्ल्यू को अग्रेषित कर दिया गया है।

उत्तराखंड और हरियाणा सरकार इस संस्थान के लिए अस्थाई परिसर मुहैया कराने पर तथा उत्तराखंड में रूड़की और हरियाणा में गुडगांव में स्थायी भवन के लिए प्रस्तावित स्थल मुहैया कराने पर सहमत हो गई हैं।

भेषज विभाग:

भेषज विभाग ने महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में एनआईपीईआर स्थापित करने के लिए निःशुल्क और विलंगम रहित सौ एकड़

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			जमीन मुहैया कराने के लिए राज्य सरकारों के साथ बात शुरू की है। प्रास्थिति निम्नानुसार हैः राजस्थानः राज्य सरकार ने अपेक्षित जमीन की पेशकश की है। स्थल चयन समिति ने उस स्थान का दौरा किया और उसकी सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ विचार किया जा रहा है। महाराष्ट्रः राज्य सरकार ने तीन अलग-अलग पेशकशें की हैं। विभाग भूमि की पहचान के लिए स्थल चयन समिति का गठन कर रहा है। छत्तीसगढ़ः राज्य सरकार ने अपेक्षित भूमि के संबंध में कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया है। पत्र व्यवहार चल रहा है और एक बैठक किए जाने की योजना है। ***कार्य प्रगति पर है।***
54.	81	सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रशासन में सुधार लाने के लिए, सरकार का विचार एक स्वायत्त बैंक बोर्ड ब्यूरो स्थापित करने का है। यह ब्यूरो सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों की तलाश और उनका चयन करेगा और अलग-अलग कार्यनीति तथा नवोन्मेष वित्तीय तरीकों और लिखतों के जरिये पूंजी जुटाने की योजनाएं तैयार करने में उनकी मदद करेगा। यह बैंकों के लिए नियंत्रक और निवेश कंपनी स्थापित करने की दिशा में एक अंतरिम कदम होगा। [नोडल मंत्रालय/विभागःवित्तीय सेवाएं विभाग]	सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो स्थापित करने की अनुमति दे दी है। ब्यूरो स्थापित करने की आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ***कार्य प्रगति पर है।***
55.	82	**डिजिटल इंडिया** अध्यक्ष महोदया, मैं, सदन को बताना चाहूँगा कि हम डिजिटल इंडिया तैयार करने की दिशा में सही प्रगति कर रहे हैं। 2.5 लाख गांवों को जोड़ने वाले 7.5 लाख किमी के राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कार्यक्रम को और अधिक गति प्रदान की जा रही है जिसके लिए इच्छुक राज्यों को इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने की अनुमति प्रदान की गई है, जिस पर आने वाले व्यय की दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार प्रतिपूर्ति की जाएगी। आंध्र प्रदेश पहला राज्य है, जिसने	**नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रोग्राम(एनओएफएनपी):** (i) उन जीपी की संख्या जहां ओएफसी बिछाने का कार्य पूरा हो चुका हैः 34,881; बिछाई गई ऑप्टिकल फाइबर केबलः82,500 कि.मी.; बिछाई गई पीएलबी पाइपः111,645 कि.मी. (ii) एनओएफएन समिति की रिपोर्ट के बाद तीन समितियां गठित की गईं जो निम्नानुसार हैः • ऑप्टिकल फाइबर अवसरंचना की उपलब्धता का मूल्यांकन करना और सभी निकायों की फाइबर अवसंरचना को एक साझा राष्ट्रीय निकाय में समूहबद्ध करने की संभावना की जांच करना।

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		कार्यान्वयन के इस तरीके के लिए अपना विकल्प दिया है। [नोडल मंत्रालय/विभागः दूरसंचार विभाग]	• भारत नेट की परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए वित्त पोषण के नए तरीकों का अध्ययन करना। • भारत नेट के उद्देश्य को पूरा कराने के लिए एक विश्वसनीय, सुरक्षित, लागतप्रभावी और कार्यदक्ष नेटवर्क हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी की सिफारिश/मूल्यांकन करना। (iii) उपर्युक्त समितियों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। एनओएफएन संबंधी समिति की रिपोर्ट और इन तीन समितियों की रिपोर्टों के आधार पर, भारत नेट के कार्यान्वयन हेतु टेलीकॉम आयोग के लिए एक मसौदा टिप्पणी तैयार की जा रही है ताकि उसे टेलीकॉम आयोग के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जा सके। (iv) एपी मॉडल की प्रास्थिति आंध्र प्रदेश सरकार ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसकी जांच की जा रही है। ***कार्य प्रगति पर है।***
56.	85	अध्यक्ष महोदया, मैं दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कॉरीडोर के मामले में हुई अच्छी प्रगति से प्रसन्न हूँ। गुजरात में अहमदाबाद - धौलेरा निवेश क्षेत्र, और महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट शेंद्रा-बिदकिन औद्योगिक पार्क, अब, बुनियादी अवसंरचना पर काम शुरू करने की स्थिति में हैं। चालू वर्ष में, मैंने ₹1,200 करोड़ की आरंभिक राशि निश्चित की है। तथापि, खर्चों के बढ़ने की स्थिति में, मैं, अतिरिक्त निधियां मुहैया काराऊंगा। [नोडल मंत्रालय/विभागः औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग]	**शेन्द्रा-बिदकिन औद्योगिक पार्क, महाराष्ट्र** • शेन्द्रा-बिदकिन औद्योगिक पार्क के लिए महाराष्ट्र सरकार/ एमआईडीसी तथा डीएमआईसी परियोजना कार्यान्वयन न्यासी निधि के बीच शेयरधारक करार (एसएचए) और राज्य सहायता करार (एसएसए) निष्पादित किया गया है; • औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड' नामक एसपीवी निगमित किया गया है और डीएमआईसी द्वारा ₹602.80 करोड़ की इक्विटी जारी कर दी गई है और एमआईडीसी ने उसी मूल्य की भूमि (8.39 वर्ग किमी.) परियोजना एसपीवी को अंतरित कर दी है; • शेन्द्रा मेगा औद्योगिक पार्क के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है; • ₹1533.44 करोड़ के निम्नलिखित ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर पैकेज के वित्त पोषण और विकास के प्रस्ताव को निम्नलिखित के संबंध में डीएमआईसी ट्रस्ट और सीसीईए द्वारा मंजूरी दे दी गई हैः- (i) सड़क, नालियां, पुलिया, जलापूर्ति; (ii) मल निपटान और विद्युत प्रणालियां;

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			(iii) दो रोड ओवरब्रिज; (iv) मल-जल उपचार संयंत्र (एसटीपी), सामान्य उत्सर्जन उपचार संयंत्र (सीईटीपी) और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन; (v) जिला प्रशासन भवन(डीएबी); और (vi) लैंडस्केपिंग। • सड़क, नाली, पुलिया, जलापूर्ति, मल निपटान और विद्युत प्रणालियों के लिए इंजीनियरी अधिप्राप्ति और निर्माण(ईपीसी) कांट्रेक्टर की नियुक्ति कर दी गई है; • रोड ओवर ब्रिज के निर्माण हेतु कांट्रेक्टर तय कर लिया गया है। • 32 वर्ग कि.मी. के बिदकिन औद्योगिक पार्क की प्रारंभिक इंजीनियरी हेतु परामर्शदाता की नियुक्ति कर ली गई है ताकि वह परियोजना विकास कार्य शुरू कर सके। • बिदकिन औद्योगिक पार्क के लिए मसौदा ईआईए रिपोर्ट महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सार्वजनिक सुनवाई के लिए प्रस्तुत कर दी गई है। **अहमदाबाद-धोलरा निवेश क्षेत्रः** • वास्तविक मास्टर प्लान और आईसीटी मास्टर प्लान पूरा कर लिया गया है और नोड हेतु अनुमोदित कर दिया गया है; • फेज-1 विकास के लिए 22.5 वर्ग कि.मी. के एक्टीवेशन क्षेत्र की पहचान कर ली गई है; • पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा धोलरा विशेष निवेश क्षेत्र के लिए पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है; • राज्य सरकार और डीएमआईसी ट्रस्ट के बीच 18 नवम्बर, 2015 को शेयरधारक करार(एसएचए) निष्पादित कर लिया गया है। राज्य सरकार ने एसपीवी के निगमन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है; • गुजरात राज्य सरकार अहमदाबाद और धोलरा को जोड़ने के लिए 6 लेन का एक्सप्रेसवे निर्मित करने के लिए कदम उठा रही है। इसके अलावा, अहमदाबाद से धोलरा तक मेट्रो संपर्क

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार एक्सप्रेस वे के साथ-साथ भूमि अधिगृहीत करने के लिए कदम उठा रही है; • अहमदाबाद और धोलरा के बीच मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम(एमआरटीएस) परियोजना डीएमआईसी परियोजना के लिए जाइका स्पेशल रोलिंग प्लान में शामिल की गई है; • एक्टिवेशन क्षेत्र में कुल ₹2784.83 करोड़ के निम्नलिखित ट्रंक अवसंरचना पैकेजों के वित्त पोषण और विकास का प्रस्ताव निम्नलिखित के संबंध में डीएमआईसी और सीसीईए द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है: (i) सड़क और सेवाएं; (ii) धोलरा के लिए प्रशासनिक और व्यवसायिक केन्द्र(एबीसीडी); (iii) जल उपचार संयंत्र(डब्ल्यूटीपी); (iv) सामान्य उत्सर्जन उपचार संयंत्र (सीईटीपी); और (v) मल-जल उपचार संयंत्र(एसटीपी)। • ईपीसी आधार पर फेज-1 में सड़क और सेवाओं का डिजाइन तैयार करने और निर्माण के लिए कांट्रेक्टर तय कर लिया गया है। • धोलरा के लिए प्रशासन भवन के डिजाइन और निर्माण के लिए नियत तारीख तक बोलियां प्राप्त हो गईं थी और उनका मूल्याकंन किया जा रहा है। • गुजरात में भीमनाथ और धोलरा के बीच रेलवे लाइन के निर्माण के लिए इस समय डीपीआर तैयार की जा रही है। वित्त वर्ष 2015-16 में एसपीवी में निवेश करने के लिए और ट्रंक अवसंरचना परियोजनाओं के विकास हेतु गुजरात में अहमदाबाद-धोलरा विशेष निवेश क्षेत्र(डीएसआईआर) में डीएमआईसी ट्रस्ट की इक्विटी के तौर पर डीएमआईसी परियोजना कार्यान्यवन निधि(पीआईएफ) को ₹750.00 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है। ***कार्य प्रगति पर है।***
57.	87	यद्यपि भारत में वित्तीय विषयों और अंतरराष्ट्रीय वित्त के उत्कृष्ट ज्ञाता हैं, पर देश की प्रगति के लिए उनकी क्षमता को पूर्णतया प्रतिबिंबित और दोहन	विशेष आर्थिक क्षेत्र के भाग के रूप में, गांधी नगर, गुजरात में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र(आईएफएससी) स्थापित किया जा रहा है। इस संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		करने के लिए भारत में अवसर सीमित हैं। गुजरात में जीआईएफटी की परिकल्पना एक अन्तरराष्ट्रीय वित्त केंद्र के रूप में की गई थी, जो वास्तव में सिंगापुर या दुबई के जैसा ही अन्तरराष्ट्रीय वित्त केंद्र बन जाएगा जिन्हें संयोगवश भारतीयों द्वारा ही चलाया जाता है। यह प्रस्ताव वर्षों से ठंडा पड़ा है। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता रही है कि जीआईएफटी का पहला चरण शीघ्र ही वास्तविकता बन जाएगा। यथोचित विनियम मार्च में जारी किए जाएंगे। [नोडल मंत्रालय/विभागः वित्तीय सेवाएं विभाग, आर्थिक कार्य विभाग]	(अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र) विनियम, 2015 के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 01.04.2015 को बैंकों द्वारा आईएफएससी बैंकिंग यूनिट(आईबीयू) स्थापित करने की योजना भी अधिसूचित की है। बीमा अधिनियम, 1938 और आईआरडीए अधिनियम, 1999 के विशिष्ट उपबंधों से छूट देने के लिए, बीमा क्षेत्र से संबंधित नियमों और विनियमों के संबंध में सरकार ने किसी भी विशेष आर्थिक क्षेत्र के संबंध में बीमा कारोबार करने के लिए छूट देने के बारे में 27 मार्च, 2015 को अधिसूचित किया। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केन्द्र के रूप में कार्य करने के लिए जीआईएफटी को समर्थ बनाने हेतु भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण(विशेष आर्थिक क्षेत्र में बीमा कारोबार का विनियमन) नियमावली, 2015 को अधिसूचित किया गया है। इस प्रयोजनार्थ आईआरडीएआई द्वारा 7 अप्रैल, 2015 को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आईएफएससी में प्रतिभूति बाजार से संबंधित वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने और उन्हें सुसाध्य बनाने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने भी 27.3.2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतर राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र) दिशा-निर्देश अधिसूचित किए हैं। आईएफएससी के लिए विनियामक फ्रेमवर्क की शुरूआत 10 अप्रैल, 2015 को गांधीनगर, गुजरात में की गई। ***कार्रवाई पूर्ण।***
58.	88	वाणिज्यिक विवादों के त्वरित समाधान के लिए, सरकार का विधि आयोग की 253वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर, भारत में विभिन्न न्यायालयों में अनन्य वाणिज्यिक प्रभाग गठित करने का प्रस्ताव है। सरकार इस संबंध में हितधारकों से परामर्श करने के पश्चात संसद में एक विधेयक पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव करती है। [नोडल मंत्रालय/विभागः विधि कार्य विभाग]	"उच्च न्यायालय का वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक डिवीजन और वाणिज्यिक अपीलीय डिवीजन विधेयक, 2015 को 01 जनवरी, 2016 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है। ***कार्रवाई पूर्ण।***
59.	96	हमें यह सुनिश्चित करने के लिए विकास और निवेश के पुनरूद्धार की आवश्यकता है कि हमारे युवाओं के लिए और अधिक रोजगार सृजित हों तथा विकास के फायदे हमारे करोड़ों गरीब लोगों को प्राप्त हों। इसके लिए हमें एक समर्थकारी कर	वस्तु एवं सेवा कर विधेयक पेश करने के लिए लोक सभा द्वारा संविधान(122वां) संशोधन विधेयक 6.5.2015 को पारित किया गया। इस विधेयक को राज्य सभा द्वारा एक प्रवर समिति को भेज दिया गया है। राज्य सभा की प्रवर समिति द्वारा विधेयक पर विचार करने के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन 29.7.2015 को प्राप्त

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		नीति की आवश्यकता है। मैं माननीय सदन के पिछले सत्र में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लिए भारत के संविधान में संशोधन करने हेतु एक विधेयक पुरःस्थापित कर चुका हूँ। जीएसटी द्वारा हमारे आर्थिक कार्यों के मार्ग में एक युगांतरकारी भूमिका निभाने की आशा है। इसके परिणामस्वरूप, एक साझा भारतीय बाजार के विकास से और वस्तुओं एवं सेवाओं की लागत पर इसके पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम करने से हमारी अर्थव्यवस्था में जबरदस्त सुधार होगा। हम अगले वर्ष से वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रहे हैं। [नोडल मंत्रालय/विभागःराजस्व विभाग]	किया गया। इस विधेयक को राज्य सभा में विचारार्थ और पारित किए जाने हेतु पेश किया जाना है। ***कार्य प्रगति पर है।***
60.	101	पिछले 9 महीनों में, इस दिशा में अनेक उपाय किए गए हैं। अक्तूबर 2014 में तब एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई जब राजस्व विभाग के एक प्रतिनिधि मंडल ने स्विटजरलैंड का दौरा किया तथा स्विस अधिकारी (क) आयकर-विभाग द्वारा जिन मामलों की स्वतंत्र रूप से जांच की जा रही है उनके संबंध में सूचना प्रदान करने; (ख) बैंक खातों की वास्तविकता की पुष्टि करने और गैर-बैंकिंग सूचना प्रदान करने और; (ग) ऐसी सूचना समय बद्ध रूप में प्रदान करने; और (घ) दोनों देशों के बीच सूचना के स्वतः आदान-प्रदान के लिए शीघ्रातिशीघ्र भारत के साथ बातचीत शुरू करने पर सहमत हो गए। अप्रकटीकृत विदेशी आस्तियों के मामलों में जांच को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है जिससे पर्याप्त मात्रा में असूचित आय का पता चला है। देश में विभिन्न स्रोतों से सूचना संग्रहण की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए, एक नई व्यवस्था लागू की जा रही है जिसमें रिपोर्ट करने वाले निकायों द्वारा विवरणों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दर्ज करना शामिल है। इससे आंकड़ों का निर्बाध समेकन और अधिक प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित होगा। [नोडल मंत्रालय/विभागःराजस्व विभाग]	प्रक्रिया चल रही है। देश में विभिन्न स्रोतों से सूचना एकत्र करने के लिए संगत नियमों के संशोधन के बाद अधिसूचना जारी कर दी गई है। ***कार्रवाई पूर्ण।***
61.	102	जो धन कानूनी रूप से देश की संपत्ति है, उसका पता लगाना और देश में वापस लाना देश के प्रति	अप्रकट विदेशी आय और आस्तियां(कर आरोपण) विधेयक, 2015, 20.3.2015 को लोकसभा में रखा गया। संसद के दोनों

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		हमारी सुनिश्चित प्रतिबद्धता है। मौजूदा कानून के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं को देखते हुए, हमने विदेश में जमा काले धन से विशेष रूप से निपटने के लिए एक व्यापक नया कानून बनाने पर एक सुविचारित निर्णय लिया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, मैं संसद के वर्तमान सत्र में एक विधेयक पुरःस्थापित करना चाहता हूँ। [नोडल मंत्रालय/विभागःराजस्व विभाग]	सदनों ने यह विधेयक पारित किया। 26.5.2015 से यह कानून लागू हुआ। ***कार्रवाई पूर्ण।***
62.	103	अध्यक्ष महोदया, मैं आपकी अनुमति से काले धन के संबंध में प्रस्तावित नए कानून की कुछ प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालना चाहूँगा। XXX (9) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999(फेमा) में इस आशय का संशोधन किया जा रहा है कि यदि कोई विदेशी मुद्रा, विदेशी प्रतिभूति या इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में भारत से बाहर कोई स्थावर सम्पत्ति धारित है तो उक्त सम्पत्ति के मूल्य के समतुल्य भारत में स्थित किसी सम्पत्ति के संभावित अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू की जा सकेगी। इस उल्लघंन को शास्ति अधिरोपण और पांच वर्ष के कारावास सहित अभियोजन के लिए भी उत्तरदायी ठहराया जा रहा है। [नोडल मंत्रालय/विभागःआर्थिक कार्य विभाग, राजस्व विभाग]	वित्त अधिनियम, 2015 में संशोधन (नई धारा 13क एवं 37क) कर लिए गए हैं। इन संशोधनों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए प्रवर्तन अधिसूचना जारी कर दी गई है। ***कार्रवाई पूर्ण।***
63.	104	घरेलू काला धन समाप्ति के लिए, एक नया और अधिक व्यापक बेनामी संव्यहार (प्रतिषेध) विधेयक शीघ्र ही संसद के चालू सत्र में पुरःस्थापित किया जाएगा। इससे बेनामी सम्पत्ति का अधिग्रहण किया जा सकेगा तथा इसके लिए अभियोग चलाने के लिए व्यवस्था की जा सकेगी, इस प्रकार, बेनामी सम्पत्ति विशेषकर रीयल एस्टेट के क्षेत्र में, काला धन के अर्जन के मुख्य अवसर और धारण पर रोक लगायी जा सकेगी। [नोडल मंत्रालय/विभागःराजस्व विभाग]	बेनामी संव्यवहार(प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2015, 13 मई 2015 को लोक सभा में रखा गया है। ***कार्रवाई पूर्ण।***
64.	105	देश में काले धन की समाप्ति के लिए बजट में कुछ अन्य उपायों के प्रस्तावों का भी जिक्र है। वित्त विधेयक में किसी स्थावर सम्पत्ति की खरीद के लिए नकद	देश में अचल संपत्ति से संबंधित लेन-देनों में काले धन के परिचालन पर काबू पाने का प्रस्ताव वित्त अधिनियम, 2015 के जरिए प्रभावी हो गया है।

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
		रूप में ₹20,000 या इससे अधिक की राशि के संदाय को स्वीकार किए जाने के निषेध के लिए, आयकर अधिनियम को संशोधित करने का प्रस्ताव भी शामिल है। एक लाख रुपए से अधिक मूल्य की किसी भी खरीद या बिक्री के लिए पैन का उल्लेख करना बाध्यकारी किया जा रहा है। थर्ड पार्टी रिपोर्टिंग निकायों द्वारा विदेशी मुद्रा बिक्रियों तथा सीमा पार संव्यवहारों की सूचना दिया जाना भी जरूरी है। उल्लेखनीय संव्यवहारों के विखंडन की जांच के लिए भी उपबंध किया जा रहा हैः प्रवर्तन सुधारने की दृष्टि से, सीबीडीटी और सीबीईसी प्रौद्योगिकी का विकास करेंगे और एक दूसरे से सूचनाओं का आदान-प्रदान करेंगे। [नोडल मंत्रालय/विभागःराजस्व विभाग]	अचल संपत्ति से संबंधित लेन-देनों में काले धन के प्रयोग पर काबू पाने के लिए वित्त अधिनयम, 2015 के जरिए आयकर अधिनियम की धारा 269 धध, धारा 269न, धारा 271घ और धारा 271ड. में संशोधन किया गया है, ताकि अचल संपत्ति से संबंधित किसी अंतरण के मामले में, बैंक खाते के जरिए खाता अदाता चैक अथवा खाता अदाता बैंक ड्राफ्ट अथवा इलैक्ट्रानिक क्लियरिंग सिस्टम के माध्यम से ₹20,000 अथवा इससे अधिक के भुगतान अथवा अग्रिम के भुगतान को स्वीकारने से प्रतिषिद्ध किया जा सके। इसमें समतुल्य राशि के दंड की व्यवस्था की गई है। ₹दो लाख से अधिक मूल्य के माल एवं सेवाओं की बिक्री या खरीद संबंधी लेन-देन के मामले में दिनांक 30 दिसम्बर, 2015 की अधिसूचना सं0 95/2015 के जरिए आयकर नियमावली के नियम 114ख में उपयुक्त संशोधन करके पैन का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी प्रकार, नियम 114ड. को भी उक्त अधिसूचना के जरिए संशोधित किया गया है ताकि तीसरा पक्ष रिपोर्टिंग तंत्र मजबूत किया जा सके। लेन-देनों को बांटने की तिकड़म से निपटने के लिए यह व्यवस्था की गई है कि एकल संव्यवहार के मूल्य के अलावा, उस संव्यवहार का वार्षिक जोड़ भी लेने-देनों की रिपोर्टिंग करेगा। किसी व्यक्ति से विदेशी मुद्रा की बिक्री की रसीद, जिसमें ऐसी मुद्रा को विदेशी मुद्रा कार्ड में जमा करने अथवा डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए ऐसी मुद्रा में किया गया व्यय शामिल है अथवा ट्रेवलर चैक या ड्राफ्ट या अन्य लिखत के निर्गम के जरिए एक वित्त वर्ष में ₹10 लाख या इससे अधिक की राशि का संव्यवहार शामिल है, भी सूचित किए जाने योग्य संव्यवहार माना जाएगा। सीबीडीटी और सीबीईसी के बीच सूचना साझी करने के संबंध में निम्नलिखित कार्रवाई की गई हैः 1. सेवाकर डाटा मैचिंग पायलट : सीबीडीटी और सीबीईसी द्वारा इन आंकड़ों का प्रयोग सेवाकर दाखिल न करने वाले संभावित व्यक्तियों तथा मूल्यों में असंतुलन वाले मामलों की पहचान करने के लिए किया जा रहा है। 2. सीमा-शुल्क डाटा मैचिंग पायलटः सीमा-शुल्क संबंधी आंकड़ों के आदान-प्रदान के तौर-तरीके तय कर लिए गए हैं। जल्द ही डाटा एक्सचेंज कार्यान्वित किया जाएगा। 3. कर 360 विस्तारित पायलटः सीबीईसी ने प्रतिभागी एजेंसियों के साथ पंजीकृत निकायों के पंजीकरण संबंधी ब्यौरे साझे किए थे।

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			सीबीडीटी ने सीबीईसी के साथ मैचिंग पैन से संबंधित महत्वपूर्ण पंजीकरण एवं वित्तीय सूचना साझी की है। 4. इसके अलावा, सीबीडीटी और सीबीईसी के बीच हस्ताक्षिरत समझौता ज्ञापन के जरिए आंकड़ों के आदान-प्रदान को औपचारिक रूप भी दिया गया है। ***कार्रवाई पूर्ण।***
65.	106	अध्यक्ष महोदया, इस वर्ष मेरे कराधान प्रस्तावों का दूसरा स्तंभ घरेलू विनिर्माण क्षेत्र में विकास और निवेश की बहाली और उसके संवर्धन तथा "मेक इन इण्डिया" के माध्यम से नौकरियों का सृजन करना है। इस दिशा में देशी तथा विदेशी दोनों तरह की पूंजी आकर्षित करने के लिए, मैं अनेक उपायों का प्रस्ताव करता हूँ। श्रेणी-I और श्रेणी-II दोनों ही वैकल्पिक निवेश निधियों को टैक्स "पास थ्रू" की अनुमति देने का प्रस्ताव है, ताकि इन निधियों में निवेशकों पर कर वसूला जाए, न कि निधियों पर। इससे इन निधियों को उच्चतर संसाधन जुटाने में इस्तेमाल किया जा सकेगा और लघु तथा मझोले उद्यमों, अवसंरचना और सामाजिक परियोजनाओं में अधिक निवेश किया जाएगा, और नए उद्यमों तथा स्टार्ट-अप में अधिक निजी इक्विटी मुहैया कराई जाएगी। [नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]	इस प्रस्ताव को वित्त अधिनियम, 2015 के जरिए, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2; धारा 10; धारा 115प; धारा 115पख; धारा 139 के उपबंधों में संशोधन करके और नई धारा 194ठखख अंतर्विष्ट करके कार्य रूप दिया गया है। ***कार्रवाई पूर्ण।***
66.	107	पिछले बजट में उन्हें आंशिक पास-थ्रू देते हुए, रीयल एस्टेट निवेश ट्रस्टों (आरईआईटी) और अवसंरचना निवेश ट्रस्टों (इनविट्स) को प्रोत्साहन करने की दृष्टि से उपाय किया गया था। विनिर्माण गतिविधियों की बहाली करने के लिए ये सामूहिक निवेश महत्वपूर्ण है। विभिन्न पूर्ण परियोजनाओं में भारी मात्रा में निधियां अवरूद्ध हैं जिन्हें नई अवसंरचनात्मक परियोजनाएं शुरू करने को सुसाध्य बनाने के लिए जारी किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए मैं, आरईआईटी तथा इनविट्स इकाइयों की लिस्टिंग के समय पर प्रस्थान करने वाले प्रायोजकों के लिए प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) का संदाय करने की शर्त पर, पूंजीगत अभिलाभ प्रणाली को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव करता हूँ। आरईआईटी की निजी आस्ति से भाड़ा अर्जित आय पर पास-थ्रू सुविधा होगी। [नोडल मंत्रालय/विभागः राजस्व विभाग]	इस प्रस्ताव को वित्त अधिनियम, 2015 के जरिए, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2; धारा 10; धारा 111क; धारा 115पक; धारा 194झ और धारा 194ठखक के उपबंधों में संशोधन करके कार्य रूप दिया गया है। ***कार्रवाई पूर्ण।***

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
67.	108	वर्तमान कराधान संरचना में ऑफशोर लोकेशनों से काम कर रहे निधि प्रबंधकों के लिए प्रोत्साहन अंतर्निहित है। इन अपतटीय निधि प्रबंधकों को भारत में दुबारा लाने-बसाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु, मैं स्थायी स्थापन (पी.ई.) मानकों को इस आशय से आशोधित करने का प्रस्ताव करता हूँ कि भारत में निधि प्रबंधक की उपस्थिति मात्र से ही ऑफशोर निधियों का पी.ई. नहीं माना जाएगा जिसके प्रतिकूल परिणाम होंगे। [नोडल मंत्रालय/विभागःराजस्व विभाग]	इस प्रस्ताव को वित्त अधिनियम, 2015 के जरिए, आयकर अधिनियम, 1961 की नई धाराएं 9क; धारा 271चकख अंतर्विष्ट करके और धारा 273ख के उपबंधों में संशोधन करके कार्य रूप दिया गया है। इसके अलावा, धारा 9क के उपबंधों को लागू किये जाने के तरीके और उसके संबंध में मार्ग-निर्देश तैयार करने के लिए मसौदा नियम तैयार किए जा रहे हैं। संसद की अधीनस्थ विधान समिति से अनुरोध किया गया है कि वह ये नियम तैयार करने की समय-सीमा 31 मई, 2016 तक बढ़ा दें। ***कार्रवाई प्रगति पर है।***
68.	116	विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए मैट उपबंधों को तर्क-संगत बनाने के लिए, उन प्रतिभूतियों, जिनपर निम्न दर पर कर लगता है, में लेनदेन करने पर प्राप्त पूंजी अभिलाभों से उनकी आय के अनुरूप लाभ मैट के अध्यधीन नहीं होंगे। [नोडल मंत्रालय/विभागःराजस्व विभाग]	न्यायमूर्ति ए.पी. शाह समिति की सिफारिशों, जिसमें 01.4.2015 से पहले की अवधि में, भारत में कारोबार स्थल/स्थायी स्थापना न रखने वाले विदेशी संस्थागत निवेशकों(एफआईआई)/विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों पर न्यूनतम वैकल्पिक कर(एमएटी) के उपबंधों की प्रयोज्यता न होने की सिफारिश की गई थी, की स्वीकृति के परिणामस्वरूप आयकर प्राधिकरण को 2.9.2015 के अनुदेश सं.9 के जरिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। बाद में, भारत में कारोबार स्थल/स्थायी स्थापना न रखने वाली विदेशी कंपनियों पर धारा 115ञख की प्रयोज्यता के मुख्य मुद्दे पर विचार किया गया और दिनांक 24.9.2015 को प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जिसके जरिए कतिपय मामलों में विदेशी कंपनियों पर मैट की प्रयोज्यता न होने के संबंध में सरकार के निर्णय की सूचना दी गई। माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रेस विज्ञप्ति के आधार पर और इस संबंध में सरकार द्वारा की गई वचनबद्धता के आधार पर कासलटन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के मामले को निपटा दिया। उपर्युक्त को देखते हुए, दिनांक 23.12.2015 के अनुदेश संख्या 18 के जरिए, इस बात को दोहराया गया है कि 1.4.2001 से, धारा 115 ञख के उपबंध विदेशी कंपनी(एफआईआई/ एफपीआई सहित) पर लागू नहीं होंगे यदि, क) विदेशी कंपनी किसी ऐसे देश की निवासी है जिसके साथ भारत का दोहरा कराधान परिहार करार है और ऐसी विदेशी कंपनी की संगत दोहरा कराधान परिहार करार के उपबंधों के अनुसार कोई स्थायी स्थापना नहीं है; अथवा

क्रम सं.	पैरा सं.	बजट घोषणा	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
			ख) विदेशी कंपनी किसी ऐसे देश की निवासी है जिसके साथ भारत का दोहरा कराधान परिहार करार नहीं है और ऐसी विदेशी कंपनी के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 592 अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 380 के अंतर्गत पंजीकरण प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है। इस संबंध में वित्त विधेयक, 2016 के जरिए आयकर अधिनियम में उपयुक्त विधायी संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। ***कार्य प्रगति पर है।***
69.	117	कर प्रशासन सुधार आयोग (टीएआरसी) ने कर विभागों में प्रशासनिक सुधार के लिए अनेक सिफारिशें की है। ये सिफारिशें जांच के अंतिम स्तर पर हैं और इस वर्ष के दौरान उपयुक्त रूप से कार्यान्वित की जाएंगी। [नोडल मंत्रालय/विभागःराजस्व विभाग]	कर प्रशासन सुधार आयोग(टीएआरसी) की सिफारिशों की जांच की जा रही है। जिन सिफारिशों को तत्काल कार्यान्वित किया जा सकता है, उन्हें फास्ट ट्रैक पर पर डाला गया है और अन्य सिफारिशें जो मध्यावधिक और दीर्घावधिक लक्ष्यों का हिस्सा हैं; उन्हें चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित और मॉनीटर किया जा रहा है। सीबीडीटी और सीबीईसी द्वारा टीएआरसी की सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रास्थिति निम्नानुसार हैः **सीबीईसीः** सिफारिशों की संख्याः 254 अस्वीकृतः47 स्वीकृतः207 (क) कार्यान्वितः 34 (ख) चल रही/कार्यान्वयनाधीनः 173 **सीबीडीटीः** कार्रवाई योग्य सिफारिशों की कुल संख्याः 291 अस्वीकृतः27 जांच के लिएः 18 स्वीकृत/संशोधन के साथ स्वीकृतः246 (क) कार्यान्वितः 77 (ख) कार्यान्वयनाधीनः 169 ***कार्य प्रगति पर है।***